लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

5th
LOK SABHA DEBATES

पाँचवाँ सत्र
[Fifth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

PARLIAMENT LI
No. R. 69(25)
DATE 14.12.72

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19, शनिवार, 26 अगस्त, 1972/4 भाद्र, 1894 (शक)

No. 19, Saturday, August 26, 1972/Bhadra 4, 1894 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
दिल्ली पुलिस द्वारा जनसंघ प्रदर्शनकारियों के पीटे जाने के समाचार के बारे में	Re. Reported beating of JS Demonstrators by Delhi Police	..	1
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	1
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	..	2
कीटनाशी (संशोधन) विधेयक राज्य सभाद्वारा पारित किये गये रूप में	Insecticides (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha	..	2
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	..	2
बाईसवां और तेइसवां प्रतिवेदन	Twenty second and Twenty third Reports	..	2
सभा का कार्य	Business of the House	..	2—5
राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Bill—introduced	..	5
बालक दत्तक ग्रहण विधेयक	Adoption of Children Bill	..	5—7
विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to join joint committee	..	5—6
खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक	Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Bill	..	7—16
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	..	13
श्री राम नारायण शर्मा	Shri R. N. Sharma	..	7—8
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhukar	..	9
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	..	9—10
श्री जे० मैथा गौडर	Shri J. Matha Gowder		10
श्री दामोदर पाण्डे	Shri Damodar Pandey	..	11

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री जी० पी० यादव	Shri G. P. Yadav ..	11
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan ..	11—13
खण्ड 2 से 16 तथा 1	Clauses 2 to 16 and 1 ..	13—16
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended	16
भारतीय राज्य शासन (विशेषाधिकारों की समाप्ति) विधेयक	Rulers of Indian States (Abolition of Privileges) Bill	17—26
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	23
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale ..	17—18, 21—23
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta ..	18
श्री एम० कतामुतु	Shri M. Kathamuthu	18—20
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder ..	20
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi ..	20—21
श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra ..	21
खण्ड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1 ..	24—26
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass ..	26
बीज (संशोधन) विधेयक	Seeds (Amendment) Bill ..	26—31
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	26
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	26—27, 29—30
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya ..	27—28
श्री मोहनराज कलिंगारायर	Shri Mohanraj Kalingarayar ..	28
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade ..	28
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta ..	28
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	29
श्री तेजासिंह स्वतंत्र	Shri Teja Singh Swantantra ..	29
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 ..	30—31
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass ..	31
प्रयत्क्ष कर जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Final Report of the Direct Taxes Enquiry Committee	31—46
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ..	31—32, 33

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao	..	33—37
श्री के० बालदण्डायुतम	Shri K. Baladhandayutham	..	37—38
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	..	38—40
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran		40—41
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	..	41—42
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	..	42
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	..	42—43
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	..	43—44
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	..	44—45
श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra	..	45
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	..	44
सोलहवां प्रतिवेदन	Sixteenth Report	..	44

LOK SABHA
लोक-सभा

शनिवार, 26 **अगस्त**, 1972/4 **भाद्र**, 1894 (**शक**)

Saturday, August 26, 1972/Bhadra 4, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

दिल्ली पुलिस द्वारा जनसंघ प्रदर्शनकारियों के पीटे जाने के समाचार के बारे में

RE. REPORTED BEATING OF JAN SANGH DEMONSTRATORS BY DELHI POLICE

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : Mr. Speaker, Sir, I had written to you regarding police atrocities. This photo published in a newspaper clearly shows that five or six policemen are beating an unarmed man. ...(**interruptions**).

Mr. Speaker : There are also photos showing police being attacked by the people.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए ।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : May I know was not Dr. Shanker Dayal Sharma's residence raided by these workers ?

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

डाक-तार बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1972

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक-तार बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 958 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3501/72**]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश देना है :

"राज्य सभा ने 23 अगस्त, 1972 को अपनी बैठक में कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 1972 पास किया।"

कीटनाशी (संशोधन) विधेयक
INSECTICIDES (AMENDMENT) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 1972 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

बाइसवां और तेइसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) नौवहन और परिवहन मंत्रालय—विशाखापत्तनम पत्तन के सम्बन्ध में समिति के पहले प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय सम्बन्धी 22वां प्रतिवेदन।

(2) नौवहन और परिवहन मंत्रालय—तूतीकोरिन तथा मंगलौर पत्तनों के सम्बन्ध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय सम्बन्धी 23वां प्रतिवेदन।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमान् जी, मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 28 अगस्त, 1972 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची से अगले दिन के लिए लिये गये सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972, पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार तथा पास करना।

(3) वर्ष 1972-73 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

(4) राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1972 (संयुक्त समिति को सौंपना)।

(5) इण्डियन कापर कारपोरेशन (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1972, पर विचार तथा पास करना।

(6) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर विचार और दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर विचार तथा पास करना।

(7) कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 1972, पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार तथा पास करना।

(8) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री ने आगे घोषणा की कि निम्नलिखित विधेयकों को, जो लगभग तैयार हो चुके हैं, पेश करने का भी प्रस्ताव है :—

(एक) भूतपूर्व राज्य-सचिव सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1972।

(दो) दिल्ली शिक्षा विधेयक, 1972, संयुक्त समिति को सौंपने के लिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : भारत के चलचित्र उद्योग में कर्मचारियों के कार्य करने सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयक के बारे में श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के उप मंत्री श्री बालगोविन्द वर्मा ने 28 अप्रैल, 1972 को कहा था कि हम शीघ्र ही इस सदन में इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश करने का विचार कर रहे हैं। इसमें पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है।

कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जमा करने में मालिकों की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। पिछले वर्ष श्री आर० के० खाडिलकर ने कहा था कि इस प्रकार के अपराधियों को प्रतिरोधी दण्ड देने के लिए सभा में शीघ्र ही विधेयक पेश किया जायगा। पिछले सत्र में भी इसी आश्वासन को दुहराया गया था, परन्तु उस विधेयक को सरकार ने सूची में शामिल नहीं किया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हो चुका है कि जून के आंकड़ों के अनुसार जीवन-निर्वाह व्यय का मूल्य सूचकांक 237.08 हो चुका है। जुलाई के आंकड़ों को लेने पर, मूल्य सूचकांक 238 से अधिक हो जाता है। केन्द्रीय कर्मचारियों को शीघ्र मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिये। 4% से 8.33% बोनस बढ़ाने सम्बन्धी खाडिलकर फार्मूले के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए जिसमें श्रमिक असन्तोष से बचा जा सके।

टाटा द्वारा औद्योगिक नीति में परिवर्तन के बारे में प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन को सभापटल पर रखा जाना चाहिए, ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें ।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Sir, there is serious drought in Bihar and nearly 4 crores of people are suffering due to serious famine conditions. Uptill now 175 people have died due to starvation ; of these, 37 people died in Katihar Division. Foodgrains should be supplied urgently to the Fair Price shops in Bihar and loans should be given to the medium farmers from nationalised Banks.

श्री समर गुह (कन्टाई) : पाकिस्तान की सांठगांठ से चीन द्वारा राष्ट्र संघ में बंगला देश के प्रवेश को रोकने के बारे में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । शिमला समझौते के क्रियान्वयन से इसका सीधा सम्बन्ध है । हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे और साथ ही साथ यह भी जानना चाहेंगे कि भविष्य में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है । सरकार को पूरा वक्तव्य देना चाहिए जिससे हम उस पर चर्चा कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : पहले वक्तव्य देने के बाद नये तथ्य सामने आये हैं, इसलिए मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं सदस्यों के विचारों को सम्बद्ध मंत्री तक पहुंचा दूंगा ।

जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, चलचित्र उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित विधेयक इस सदन में पेश करने का आश्वासन दिया गया था, परन्तु यह आवश्यक नहीं था कि यह विधेयक अगस्त के महीने में ही पेश किया जाये ...(**व्यवधान**) ।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनन्दगांव) : विधेयक मैंने पेश किया था और मुझे आश्वासन दिया गया था कि अगले सत्र विधेयक पेश किया जायगा ...(**व्यवधान**) ।

श्री राजबहादुर : भविष्य निधि की बकाया राशि के लिए दण्ड को व्यवस्था करने के लिए विधेयक को काफी सीमा तक तैयार कर लिया गया है ।

मंहगाई भत्ते के प्रश्न के बारे में मैंने सदस्यों के विचार नोट कर लिए हैं और वित्त मंत्री भी यहां उपस्थित हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या सरकार इस बारे में कोई घोषणा करने जा रही है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : पहली अन्तरिम राहत और दूसरी अन्तरिम राहत के बारे में दिए गये प्रतिवेदनों में वेतन आयोग ने अन्तरिम राहत देने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है जिसके अनुसार अन्तरिम राहत देने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जबकि औसत सूचकांक 238 पर पहुंच जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि सूचकांक 238 तक पहुंच चुका है और इस मामले को फिर से वेतन आयोग को नहीं भेजा जायगा ।

श्री के० आर० गणेश : सूचकांक 238 होने के बारे में मेरे पास सरकारी आंकड़े नहीं हैं ।

श्री राजबहादुर : बिहार की सूखे की स्थिति के बारे में इस सदन में चर्चा हो चुकी है ।

बंगला देश की मान्यता तथा अन्य मामलों के बारे में उचित समय पर सदन में विचार किया जायगा ।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक
PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL ELECTIONS (AMENDMENT) BILL

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बालक दत्तक ग्रहण विधेयक
ADOPTION OF CHILDREN BILL

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, राज्य सभा द्वारा अपनी 1 अगस्त, 1972 की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गयी तथा 2 अगस्त, 1972 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा बालकों के दत्तक ग्रहण तथा उससे संबंधित मामलों की बाबत उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जायें अर्थात् :—

(1) श्री एस० आर० ए० एस० अप्पलानायडू
(2) श्री शिव कुमार शास्त्री
(3) श्री लम्बोदर बलियार
(4) श्री धरणीधर बसुमतारी
(5) श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य
(6) श्री अमर नाथ चावला
(7) श्री अनन्त प्रसाद धूसिया
(8) श्री बर्की जार्ज

(9) श्रीमती मारजोर गाडफ्रे

(10) श्री एच० आर० गोखले

(11) श्री गिरिधर गोमांगो

(12) श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान

(13) श्री एम० आर० लक्ष्मीनारयणन्

(14) श्री प्रताप सिंह

(15) श्री मोहनराज

(16) श्रीमती शकुन्तला नायर

(17) श्री मणिकराव पलोडकर

(18) श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय

(19) श्री राम भगत पास्वान

(20) श्री एस० बी० पाटिल

(21) श्री के० कोदण्ड रामी रेड्डी

(22) श्री नरेन्द्र कुमार सांघी

(23) श्री शक्ति कुमार सरकार

(24) श्री शफकत जंग

(25) श्री विश्व नारायण शास्त्री

(26) श्री धर्मगज सिंह

(27) श्री सोम चन्द सोलंकी

(28) श्री एस० बी० ठाकरे

(29) श्रीमती भार्गवी तंकप्पन

(30) श्री नीतिराज सिंह चौधरी"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, राज्य सभा द्वारा अपनी 1 अगस्त, 1972 की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गयी तथा 2 अगस्त, 1972 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा बालकों के दत्तक ग्रहण तथा उससे संबंधित मामलों की बाबत उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जायें अर्थात् :—

(1) श्री एस० आर० ए० एस० अप्पलानायडू

(2) श्री के० बालकृष्णन्

(3) श्री लम्बोदर बलियार

(4) श्री धरणीधर बसुमतारी

(5) श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य

(6) श्री अमर नाथ चावला
(7) श्री अनन्त प्रसाद धूसिया
(8) श्री बर्की जार्ज
(9) श्रीमती मारजोर गाडफे
(10) श्री एच० आर० गोखले
(11) श्री गिरिधर गोमांगो
(12) श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान
(13) श्री एम० आर० लक्ष्मीनारयणन्
(14) श्री बी० पी० मौर्य
(15) श्री मोहनराज
(16) श्रीमती शकुन्तला नायर
(17) श्री मणिकराव पलोडकर
(18) श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय
(19) श्री राम भगत पास्वान
(20) श्री एस० बी० पाटिल
(21) श्री के० कोदण्ड रामी रेड्डी
(22) श्री नरेन्द्र कुमार सांघी
(23) श्री शक्ति कुमार सरकार
(24) श्री शफकत जंग
(25) श्री विश्वनारायण शास्त्री
(26) श्री धर्मगज सिंह
(27) श्री प्रवीण सिंह सोलंकी
(28) श्री एस० बी० ठाकरे
(29) श्रीमती भार्गवी तंकप्पन
(30) श्री नीतिराज सिंह चौधरी"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक
MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

श्री राम नारायण शर्मा (धनबाद) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह विधेयक खनन बोर्ड और राज्यों के खान तथा भूगर्भ विज्ञान से सम्बन्धित मन्त्रियों की सिफारिश पर पेश किया

गया है। परन्तु इसमें बहुत सी खामियां भी हैं। खनिज सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों की उपेक्षा कर दी गई है। उनकी सिफ़ारिश थी कि कुछ खनिजों के लिए क्षेत्र की अधिकतम सीमा 25 वर्ग किलोमीटर और अन्य खानिजों के लिए 12 वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। कोयले पर आधारित धातु और बाक्साइट के लिए क्षेत्र की अधिकतम सीमा 12 वर्ग किलोमीटर और अन्य खनिजों के लिये 25 वर्ग किलोमीटर निर्धारित होनी चाहिए। गैर सरकारी क्षेत्र के खान मालिक इन खनिजों में अधिक रुचि नहीं रखते हैं। खानों के अधिग्रहण से खान मालिकों का विश्वास टूट चुका है। वे खानों से केवल 20 अथवा 25% खनिज ही निकालते हैं और 80% खनिजों को वैसा ही छोड़ देते हैं। पांचवीं योजना में कोयले का 1600 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके पूरे होने की कोई सम्भावना नहीं है।

गत दो साल से कोयले के उत्पादन में गिरावट आ रही है। दो साल पहले उत्पादन 780 लाख टन था, जो अब घटकर 680 लाख टन रह गया है। चौथी योजना का लक्ष्य 1000 लाख टन निर्धारित किया गया था। खान मालिकों के असहयोग के कारण ही अभी तक लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। खनिजों को वहां से न उठा सकने की आंशिक जिम्मेवारी परिवहन मन्त्रालय और रेल मन्त्रालय की भी है।

खनिजों के लिए पट्टेदारी लाइसेंस देने के लिए क्षेत्र 10 वर्ग मील से घटाकर 10 वर्ग किलो-मीटर कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और प्राइवेट खान मालिक इतने बड़े क्षेत्रों में खनिजों की खोज करने की स्थिति में नहीं हैं।

प्रवर समिति के सदस्यों ने काडल और झारखण्ड क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। उन्होंने वहां देखा कि पट्टे के क्षेत्र को 56 खण्डों में बांटा हुआ था। उन पर 56 प्रबन्धक ठेकेदार तैनात थे। उन्होंने सैकड़ों अन्य ठेकेदार तैनात किये हुए थे और उन सैकड़ों ठेकेदारों ने हजारों और ठेकेदार तैनात कर रखे थे। खान अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का परिपालन अभी तक नहीं किया जा रहा था।

जो मालिक अथवा पट्टेदार अधिनियम के उपबन्धों का पालन न करते हों, उनके पट्टों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। वे सस्ते खनिजों को तो निकाल लेते हैं और फिर उद्योग को छोड़ जाते हैं।

खान और खनिज का अधिग्रहण करने के बारे में राज्य सरकार से परामर्श करने का अधिकार सरकार स्वयं लेने जा रही है। छोटे खनिजों के बारे में राज्य सरकार को अलग छोड़ दिया गया है। कभी-कभी बड़े खनिजों को निकालने के लिए छोटे खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। धारा 4 ए (2) में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके इन खनिजों का भी अधिग्रहण कर सकती है।

खनिज सलाहकार बोर्ड की सिफारिश यह थी कि दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों को अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए। नये विधेयक का खण्ड 12 पुराने अधिनियम के खण्ड 21 की तरह ही है और इसके अनुसार 6 महीने की कैद और 1000 रु० जुर्माने का प्रावधान इसमें दिया गया है।

द्वितीय वाचन स्तर पर मैं कुछ संशोधन पेश करना चाहता हूं। भविष्य में लाइसेंस की अवधि कम की जानी चाहिए, पट्टेदारी का क्षेत्र कम होना चाहिए और दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों में दण्ड में वृद्धि की जानी चाहिए।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): Sir, the time has come when no private party should be given a lease in the mining industry. The conduct of private mine-owners in Bihar is so detestable that they do not deserve any fresh lease. They have indulged in all sorts of malpractices including exploitation of labour and non-exploitation of mines as also non-payment of Government and labour dues.

Private mine-owners undertake mining of coal from N.C.D.C. mines without any leases in collusion with N.C.D.C. officials. I therefore plead that no fresh lease be given to private mining interests and all mines should be nationalised. A period of six months has been allowed to bring this legislation into force. If the implementation of the Act relating to nationalisation of Coking Coal-mines is any indication, this period should be reduced to minimum say three months, in order to avoid misappropriation of assets by the erstwhile mine-owners.

Geological investigation should not hit small farmers and they should be allowed to reap their harvest, if possible.

The penal provision for erring mine owners should be more drastic and deterrent.

Time has now come to nationalise the entire mining industry and to develop it on modern lines and to bring pro-labour legislation.

Shri Srikishan Modi (Sikar) : Sir, I support this Bill. Mining is a very complex enterprise and even with good luck and good initial investment it takes quite long to earn any profit from it. That is why long leases and other concessions were given to those who undertook to exploit non-metallic deposits.

It is true that some such persons took undue advantage of Mineral Concession Rules by monopolising and by rendering some mines idle. But even though certain persons took liberties, there is nothing wrong with the rules as such and if they are followed in letter and spirit, production would certainly go up tremendously. Non-metallic production of minerals has not been satisfactory between 1960 and 1971.

In view of the fact that increase in production of minerals is absolutely necessary in order to ensure steady increase in industrial production, where minerals serve as raw materials this Bill is essential. But I have one or two doubts in this regard.

First, an air of uncertainty will blow over all the mine owners including the sincere and law-abiding ones and as a result thereof the mine-owners are today busy in exploiting their mines to the maximum and in disposing of their assets. I would therefore urge the hon. Minister to take a forthright step in this direction and right away take over whatever mines he deems necessary. It should be clearly declared that we are not going to take over such and such mines so that the mineral production does not suffer due to uncertainty.

Secondly, certain industries were set up at mine-heads as a condition imposed by certain State Governments like Rajasthan in regard to mineral development. Such industries should be accorded legal protection as proposed in my amendment which may be accepted.

Through my second amendment, I have sought to cancel the lease of all such mine-owners as are found to mismanage their mines or are defaulters in any way. It is difficult to achieve any progress without making such a provision.

I further submit that clause 4 (A) (2) which seeks to give the right to States Governments for abolishing minor minerals is quite unnecessary. Such minerals are found only in Rajasthan where there are 10 to 20 thousand such mines and hardly one percent are given on 5 or 7 years' lease. This will put the voting rights and freedom of those labourers in jeopardy who have been working for years on contract in those mines.

The provision re : Geological Survey is commendable but when such surveys are conducted in contractors' mines, a part or whole of the expenditure should be borne by the contractor.

Mr. Speaker : When other Members are referred to in the House, they should be addressed as hon. Members and not my friend or colleague as it is not a public meeting.

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : यह एक अच्छा विधेयक है परन्तु पता नहीं सरकार ऐसे अच्छे विधेयक लाने में विलम्ब क्यों करती है।

खोज के लिए 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सीमा रखी गई है परन्तु विद्यमान लाइसेंसों का क्या होगा जो इससे अधिक क्षेत्र के हैं ? मंत्री महोदय कृपया इसे स्पष्ट करें।

यद्यपि खनिज विकास के लिए उत्तरोत्तर अधिक पूंजी निवेश हुआ है फिर भी हाल में कुछ खनिजों का उत्पादन घटा है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करके कोई उपचारात्मक उपाय करें।

अभ्रक, सीसा, जिप्सम, सोना का उत्पादन घटा है जबकि केवल मैंगनीज का उत्पादन ही बढ़ा है। इसका कारण केन्द्रीय सरकार की दोषपूर्ण औद्योगिक नीति है। केन्द्र का सभी कुछ अपने ही हाथ में केन्द्रित रखना भी इसका एक और कारण है। अनेक खनिजों का निर्यात घटा है जबकि कच्चे लोहे का निर्यात बढ़ा है। और इसीलिए इस्पात का उत्पादन देश में घटा है और इसका मूल्य इतना अधिक बढ़ गया है। इसका क्या लाभ हुआ ? माननीय मंत्री इस पर विचार करें।

सरकार को पूरे देश के हित में सभी प्रकार के खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये।

खेद है कि केन्द्र तमिलनाडु राज्य के साथ भेद-भावपूर्ण रवैया अपनाता रहा है। नेवेली लिग्नाइट परियोजना में घिसी-पिटी मशीनों के कारण उत्पादन घटता गया है। दूसरी खान काटने का कार्य भी आरंभ नहीं हुआ है, यद्यपि इसके लिए कई बार अनुरोध किया जा चुका है। आशा है मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

खेद है कि सरकार ने सोने की खोज अन्य क्षेत्रों में आरम्भ नहीं की है। ब्रिटिश राज में नीलगिरि में सोना मिला था परन्तु सरकार ने अभी तक वहां सर्वेक्षण नहीं कराया। खेद है कि सरकार देश के दक्षिणी भागों में खनिजों की खोज में उपेक्षा करती रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह आम चर्चा नहीं है। समय कम है अतः आप केवल विधयक के उपबन्धों पर ही बोलें।

श्री जे० एम० गौडर : मैं अनुरोध करता हूं कि सभी विद्यमान खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और खनिज निकालने का कार्य भी केवल सरकारी क्षेत्र में ही किया जाये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, यद्यपि इसे लाने में विलम्ब हुआ है।

---

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : I extend my whole-hearted support to this Bill, though it has come belatedly.

Sir, the hon. Member who was speaking before me was perhaps not aware of the fact when he deplored the declining export of various minerals. Take mica for instance. We produre 80 percent of total mica in the world, out of which 90 percent is exported. Now that its substitutes have also been developed, its export depends on market trends. Therefore, we need not be alarmed if its export sags a bit. As stated by the hon. Minister, this Bill is being brought to assist this industry.

The main object of this Bill is to check unauthorised mining in the country. Unfortunately, there is no provision of drastic steps against unscrupulous mine owners who exploit the mineral wealth without paying any lease-money or royalty. As recommended by Mining Advisory Board, such people should be punishable both by fine and imprisonment.

Minor minerals which are essential for major ones, such as sand for coal industry, should be declared as major minerals.

We should stops thinking in terms of export when we talk of mineral production because if we go on exporting minerals indiscriminately, what the country would be left with ? Mining industry should never be export oriented.

It is regrettable that we have to import Aluminium though we have abundant reserves of Bauxite in the country. It is also not understandable why Siliminite is exported when we import its bricks.

Coal-mining industry should also be entirely nationalised as early as possible in the interest of its workers and production.

The hon. Minister should go ahead with bold policies regardless of personal attacks. It is only through this way that any success could be achieved.

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Sir, I support this Bill as it is essential for the development of minerals and mining in the country.

I am afraid that the discretion given to State Governments through clause 4 (A) might be misused by them under certain pressures. If this has been done on political considerations, it is regrettable.

N.C.D.C. has not been able to supply coal to Patratu resulting in acute power-shortage. Similarly, Bokaro is also suffering in production due to shortage of coal-supply.

While undertaking Geological Survey, it should be ensured that petty farmers do not suffer on any account.

Unfortunately, after take-over, prices of minerals have gone up, production has come down and as many as 11 or 12 thousand workers have become jobless.

In the end I want that all mine based industries should be nationalised to ensure greater production.

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। श्री मोदी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने खण्ड 4 (क) के संबंध में कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ये अधिकार केवल नितान्त आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयुक्त किए जाएंगे।

कई सदस्यों ने राज्य सरकारों को दिए जाने वाले कुछ अधिकारों के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है और अपने संशोधन रखे हैं। ये संशोधन बहुत अच्छे हैं और हम इनमें से एक को स्वीकार कर लेंगे।

कुछ सदस्यों ने यह आशंका भी व्यक्त की है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्थान अथवा सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अभिकरण को खोज सम्बन्धी कार्य अथवा ऐसे ही किसी जांच के सिलसिले में पट्टे पर दी गई किसी भी खनन में प्रवेश करने के अधिकार का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। खनिज सलाहकार बोर्ड की हाल ही की बैठक में चर्चा किये जाने के बाद ही यह अधिकार प्राप्त किया गया है और इसके लिये हमें सभी राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त है। हम इस बात की ओर पूरा ध्यान देंगे कि किसानों की खड़ी फसल को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचे। यदि यह नितान्त अनिवार्य हो जाता है तो मुआवजा देने की व्यवस्था है और इस तरह किसानों को मुआवजा मिलेगा।

इस बात पर मतभेद है कि क्या अन्वेषण सम्बन्धी पट्टों और खनन पट्टों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को कम किया जाये अथवा उसी स्तर पर रहने दिया जाये। इस विधेयक में सिफारिश की गई है कि अन्वेषण सम्बन्धी लाइसेंस के मामले में 50 वर्ग मील के क्षेत्र को कम करके 50 वर्ग किलो-मीटर कर दिया जाये। यदि सदन में सभी सदस्यों का ऐसा मत होगा कि इसे और कम किया जाये तो हमें इसे और कम करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

खनन सम्बन्धी पट्टे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में विधेयक में 10 वर्ग मील के क्षेत्र को कम करके 10 किलोमीटर किये जाने की व्यवस्था की गई है। किन्तु इस क्षेत्र को और कम करने का सुझाव दिया गया है। हमने यह मामला सभी राज्य सरकारों को भेज दिया है और उन्हें भारतीय खान ब्यूरो के निदेशक के पास अपने विचार भेजने के लिये कहा गया है। जैसे ही उनके विचारों का हमें पता चलेगा और यदि इसे कम करना आवश्यक समझा गया तो सरकार ऐसा करने में कभी नहीं हिचकिचायेगी। अन्वेषण या खनन सम्बन्धी पट्टों के लिये काफी कम क्षेत्र देने के मामले में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के सम्मुख कोई बाधा नहीं है। सरकार के पास इस शर्त को समाप्त करने तथा सरकारी उपक्रमों को काफी अधिक क्षेत्र देने का अधिकार सुरक्षित है।

भराई के लिये रेत की बात उठायी गई है। कोयला क्षेत्रों में भराई के लिये रेत अति आवश्यक है। वर्तमान अधिनियम की धारा 35 में ऐसी व्यवस्था की गई है जो केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह रेत को निर्धारित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त की जाने वाली मुख्य खनिज घोषित कर सकती है।

श्री दामोदर पांड (हजारी बाग) : क्या आपको पता नहीं है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा भारत कोकिंग कोल दामोदर घाटी में रेत के पट्टे प्राप्त करने में असफल रहे और इस कारण उनके सम्मुख बहुत सी कठिनाइयां हैं··· **(व्यवधान)**।

श्री शाहनवाज खां : हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या रेत को मुख्य खनिज घोषित करने तथा केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र में लेने की आवश्यकता है। दामोदर घाटी में रेत के लिये खनन पट्टों की समस्या नहीं है, अपितु रेत की उपलब्धता की समस्या है। जलग्रहण क्षेत्र में बहुत से बांध बनाने के कारण वहां बहुत कम रेत उपलब्ध है।

यह पूछा गया है कि क्या यह अधिकतम सीमा उन पट्टों पर भी लागू होगी जो पहले से दिये हुये हैं अथवा यह केवल भावी खनन और अन्वेषण सम्बन्धी पट्टों पर ही लागू होगी। विधेयक भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है। अतः जो अन्वेषण और खनन सम्बन्धी पट्टे पहले से ही चल रहे हैं, उनपर यह सीमा लागू नहीं होगी।

अनियमित ढंग से खनन कार्य करने वालों को दंड देने की व्यवस्था के बारे में भी पूछा गया है। पृष्ठ 6 पर धारा 21 के संशोधन में बताया गया है कि जो धारा 4 की उपधारा 1 का उल्लंघन करेगा उसे 6 माह का कारावास अथवा एक हजार रुपये जुर्माने का दंड दिया जायेगा।

श्री दामोदर पांडे : खनिज परामर्शदात्री बोर्ड ने यह निर्णय किया था कि दंड सम्बन्धी खंड की व्यवस्था को कठोर बनाया जाये तथा दंड व्यवस्था को बढ़ाया जाये जबकि इस विधेयक में मूलभूत अधिनियम की व्यवस्था को ही जोड़ दिया गया है। दंड व्यवस्था को कठोर करने के लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : अभी विधेयक का खंडशः पठन होना है। माननीय सदस्यों ने बहुत से संशोधन दिये हैं, जिनमें दंड व्यवस्था को बढ़ाने की व्यवस्था है और मेरा विचार उन संशोधनों को स्वीकार कर लेने का है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर एक घण्टे से अधिक चर्चा हो चुकी है।

श्री शाहनवाज खां : श्रीमन्, इसमें विवादास्पद कुछ भी नहीं है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि खानों के दुरुपयोग के विषय में माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, सरकार ने उसे नोट कर लिया है। बहुत से सदस्यों ने कोयलाखानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने की इच्छा व्यक्त की है। इस सम्बन्ध में इस्पात और खान मंत्री महोदय ने कई बार सरकारी नीति स्पष्ट की है। जहां कहीं भी गैर सरकारी क्षेत्र सच्चाई और ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करता नहीं पाया जायेगा, वहां अवश्य ही सरकार को कार्यवाही करनी पड़ेगी। किन्तु यह स्वाभाविक है कि सरकार गैर सरकारी क्षेत्र को कोयला खानों का वैज्ञानिक रूप से और विश्वास के साथ उपयोग करने में अपनी भूमिका निभाने का अवसर देना पसंद करेगी।

Shri Srikrishan Modi (Sikar) : The hon. Minister has just now said that the power now sought will not be utilized in a normal way. May I know whether they have made any such rules or procedure ?

Shri Shahnawaz Khan : It need not making rules. To encourage the small scale industries and to assist Worker's Co-operatives is the policy of the Government ; therefore, it does not need making particular rules regarding that.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(खंड 2)

श्री रामनारायण शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1—

(I) पंक्ति 18—

"The State Government may, if it is" ["यदि राज्य सरकार की"] शब्दों के स्थान पर "Where the State Government after Consultation with the Central Government, is"

["जहां राज्य सरकार की केन्द्रीय सरकार के परामर्श करने के पश्चात"] शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

(II) पंक्ति 20—

"So to do", ['ऐसा करके'] शब्दों के स्थान पर "if may" ['ऐसा सकता है'] शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। (संख्या 14)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि :

पृष्ठ 1—

(I) पंक्ति 18—

"The State Government may, if it is" ["यदि राज्य सरकार की"] शब्दों के स्थान पर "Where the State Government, after Consultation with the Central Government, is" ["जहां राज्य सरकार की केन्द्रीय सरकार के परामर्श करने के पश्चात"] शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

(II) पंक्ति 20—

"So to do" ['ऐसा करके'] शब्दों के स्थान पर "it may" ['ऐसा सकता है'] शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। (संख्या 14)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended, was added to the Bill

(खंड 3)

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 20 :—

"Lease or licence" ["पट्टा या अनुज्ञप्ति"] शब्दों के स्थान पर "mining lease or Prospecting licence" ["खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति"] शब्द प्रतिस्थापित किये जायें (संख्या 8)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शाहनवाज खां द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 8 मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि पृष्ठ 2, पंक्ति 20 :—

"Lease or licence" ["पट्टा या अनुज्ञप्ति"] शब्दों के स्थान पर "mining lease or Prospect-

ing licence" ["खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित"] शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री रामनारायण शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति II

Fifty ["पचास"] के स्थान पर "Twenty five" ["पच्चीस"] प्रतिस्थापित किया जाये (संख्या 12)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति II

Fifty ["पचास"] के स्थान पर "Twenty five" ["पच्चीस"] प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 3, as amended, was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : खंड 4 से 6 के लिये कोई संशोधन नहीं है, अतः इन्हें एक साथ ही मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 4 to 6 were added to the Bill

(खंड 7)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4 पंक्ति 3 :—

"Other Concessions" ["अन्य रियायतों"] के स्थान पर "Other mineral concessions" ["अन्य खनन रियायतों"] शब्द प्रतिस्थापित किये जायें (संख्या 9)

(श्री शाहनवाज खां)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clauses 7, as amended was added to the Bill

खंड 8 से 11 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 8 to 11 were added to the Bill

(खंड 12)

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 6, पंक्ति 19 :—

"Six months" ["छह मास"] के स्थान पर "One year" ["एक वर्ष"] शब्द प्रतिस्थापित कर दिया जाये (संख्या 15)

पृष्ठ 6, पंक्ति 19 :—

"One Thousand" ["एक हजार"] के स्थान पर "Five Thousand ["पांच हजार"] प्रतिस्थापित किया जाये (संख्या 16)

(श्री रामनारायण शर्मा)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 12, as amended, was added to the Bill

खंड 13 से 16 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 13 to 16 were added to the Bill

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 1, the enacting formula and the title were added to the Bill

श्री शाहनवाज खां: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

भारतीय राज्य शासक (विशेषाधिकारों की समाप्ति) विधेयक
RULERS OF INDIAN STATES (ABOLITION OF PRIVILEGES) BILL

अध्यक्ष महोदय: इस विधेयक के अतिरिक्त हमें अभी दो विधेयक और लेने हैं। इस विधेयक पर चर्चा के लिये दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। शेष अन्य दोनों विधेयकों पर चर्चा के लिये एक एक घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। मंत्री महोदय !

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय राज्य के शासकों की मान्यता वापस लिये जाने और निजी थैली की समाप्ति के परिणामस्वरूप कतिपय अनियमितियों का और संशोधन करने के लिये, जिससे शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो जाये, और उक्त शासकों को धीरे धीरे परिवर्तित परिस्थितियों का अभ्यस्त बनने में समर्थ बनाने के लिये कुछ अन्तः-कालीन उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

जिन विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व शासकों को विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं, उनमें आवश्यक परिवर्तन करके, संविधान के 26वें संशोधन से जो प्रक्रिया आरम्भ हुई थी, यह विधेयक उस प्रक्रिया को पूर्ण करता है। इस विधेयक में, विशेषाधिकारों की समाप्ति से जो उत्पन्न मानवीय कठिनाइयों से संबन्धित व्यक्तियों को बचाने के लिये व्यवस्था की गई है। सम्बन्धित व्यक्तियों को अवांछित कठिनाइयों से बचाने की दृष्टि से अन्तंकालीन उपाय के रूप में भूतपूर्व शासकों को कुछ रियायतें देने तथा देते रहने की व्यवस्था इस विधेयक के माध्यम से की जा रही है। किन्तु ये रियायतें बहुत ही सीमित हैं तथा यह विधेयक उन पर ही लागू होगा जो संविधान के (26वें संशोधन) अधिनियम लागू होने से पूर्व शासक थे।

विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व शासकों को उपलब्ध विशेषाधिकारों के दो वर्ग हैं (एक) प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत विशेषाधिकार उदाहरणार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा (दो) कराधान कानून के अन्तर्गत छूट जैसे सम्पत्ति-कर अधिनियम, उपहार-कर अधिनियम तथा आयकर अधिनियम।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197क के अन्तर्गत दो विशेषाधिकारों की व्यवस्था की गई है। पहला यह कि भूतपूर्व भारतीय रियासत के किसी शासक द्वारा किये गये अपराध पर विचार करने के लिये सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरा यह कि सरकार को यह निर्धारित करना है कि किस तरीके से भूतपूर्व नरेशों पर उनके अपराध अथवा अपराधों के लिये अभियोग चलाया जाये और सरकार द्वारा यह भी निर्धारित करना है कि किस न्यायालय में अभियोग चलाया जाये। विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन से ये विशेषाधिकार अब से केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये उन अपराधों के सम्बन्ध में उपलब्ध होंगे जो संविधान के लागू होने से पूर्व अर्थात् 26 जनवरी 1950 से पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये हों जो संविधान के लागू होने से पूर्व नरेश के रूप में प्रमाणित किया गया हो।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87ख के अन्तर्गत कोई भी नरेश केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध किसी मामले पर विचार नहीं किया जा सकता तथा भूतपूर्व नरेश के विरुद्ध कोई भी डिग्री उसकी सम्पत्ति से वसूल नहीं की जा सकती। भूतपूर्व नरेश केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर सकता है कि वह उसकी ओर से किसी मुकदमे की पैरवी के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करे। खंड 3 के प्रस्तावित संशोधन से ये उपबन्ध केवल ऐसे मामले में उपलब्ध होंगे जो ऐसी कार्यवाही के कारणों पर आधारित हों जो संविधान के लागू होने से पूर्व हुई हो अथवा

ऐसे किसी मामले की कार्यवाही से उत्पन्न हुई हो और वह भी उन्हीं शासकों के सम्बन्ध में जिन्हें संविधान लागू होने से पूर्व शासक प्रमाणित किया गया हो।

संविधान लागू होने से पूर्व किये गये अपराधों अथवा कार्यों के सम्बन्ध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197क और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 87ख के उपबन्धों को जारी रखने से इनका बहुत ही सीमित प्रभाव होगा। संविधान के लागू होने के पश्चात आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 87ख के अन्तर्गत विशेषाधिकारों की समाप्ति के परिणामस्वरूप, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 168 को रखना आवश्यक नहीं है। इसलिये इस धारा को खंड 4 के द्वारा निकाला जा रहा है।

निजी थैलियों के समाप्त हो जाने से आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दी गई छूट तथा दान-कर अधिनियम के अन्तर्गत दी गई छूट अनावश्यक हो गई है और इसलिये सम्बद्ध उपबन्धों को निकाला जा रहा है।

नरेशों को बदली हुई परिस्थितियों में अपने आपको उत्तरोत्तर समायोजित करने में समर्थ बनाने के हेतु प्रत्येक नरेश को उसके जीवन भर के लिये सरकारी आवास और उत्तराधिकार से प्राप्त आभूषणों के सम्बन्ध में धनकर 1957 के अर्न्तगत दी गई छूट को जारी रखने का प्रस्ताव है। राजाओं की निजी थैलियों की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले अनुग्रह पूर्वक भुगतान के सम्बन्ध में छूट देने और इस छूट को महलों के स्थान पर केवल एक महल तक ही सीमित रखने का भी प्रस्ताव है। यदि इस अनुग्रहपूर्वक भुगतान से राजाओं को अपने आपको इन परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के वांछित उद्देश्य की पूर्ति होती हो तो इस सम्बन्ध में छूट देना अनिवार्य है।

श्री वीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : इस विधेयक से भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार समाप्त होने के प्रति सरकार की हिचकिचाहट प्रकट होती है। विधेयक का शीर्षक बहुत अच्छा है। विधेयक का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कुछ उपबन्ध तो ऐसे हैं जो आवश्यक हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार को भूतपूर्व नरेशों का इतना ध्यान है कि उनकी निजी थैलियां समाप्त करते समय भी उनको नयी परिस्थितियों में अपने को बसाने के लिये धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। विधेयक में साधारण व्यक्तियों की ओर ध्यान देने के संदर्भ में एक भी शब्द नहीं है। इन नरेशों के हजारों कर्मचारी हैं। उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई है। सरकार ने प्रत्यक्ष रूप में शोषक वर्गों का समर्थन किया है। इन राजाओं के दुर्भाग्यशाली कर्मचारियों के लिये एक भी शब्द नहीं कहा गया है।

अनुपूरक मांगों में भूतपूर्व नरेशों के अनुग्रहपूर्वक उपदानों के रूप में 10 करोड़ रुपये की राशि देने की व्यवस्था की गई है। जब निजी थैलियों की समाप्ति से सम्बन्धित विधेयक पर विचार किया जा रहा था तब हमने यह मांग की थी कि भूतपूर्व नरेशों को कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिये जो कुछ देना है वह उन कर्मचारियों को दिया जाये जो इन नरेशों की सेवा में थे। इस विधेयक में उनके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

***श्री एम० कतामुत्तु** (नागापट्टिनम) : भारतीय राज्य शासक (विशेषाधिकारों की समाप्ति) विधेयक दोनों सदनों के सदस्यों की निरन्तर मांगों के परिणाम स्वरूप लाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा उनकी उन्मुक्तियों को समाप्त करना है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

विधेयक में जहां तक उपहार कर अधिनियम के अन्तर्गत भूतपूर्व नरेशों को दी गयी छटों को समाप्त करने तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता से उन्मुक्तियों को रद्द करने की व्यवस्था है वहां तक मै इसका समर्थन करता हूं। किन्तु इस विधेयक के शेष उपबन्धों का मैं हृदय से समर्थन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिये मैं इस विधेयक में सिविल प्रक्रिया संहिता के लिये प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार नहीं करता। भूतपूर्व नरेशों की सम्पत्ति से सम्बन्धित बहुत से दीवानी मामले न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं। अतः मैं सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तंगत आने वाली उन्मुक्तियों को संविधान के प्रारम्भ होने से पूर्व नरेशों के कार्यकलापों और भूलचूकों तक के लिये ही सीमित करने के विरुद्ध हूं। सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिये परन्तु इस विधेयक को भूतपूर्व नरेशों को इस सम्बन्ध में कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता सभी नागरिकों के लिये समान रूप से लागू किया जाना चाहिये। विधेयक का खंड 3 (क) न ही अपेक्षित है और न ही न्यायसंगत।

इसी प्रकार यह विधेयक भूतपूर्व नरेशों को उनके संविधान लागू होने से पूर्व के अपराधों के लिये आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्तंगत मुकदमे चलाये जाने से छट देता है। भूतपूर्व नरेशों को ऐसी छूट देने का आधार क्या है ? यदि संविधान के प्रारम्भ होने से पूर्व उन्होंने अपराध किया है तो इस देश के कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

विधेयक प्रस्तुत करते हुये मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया है कि धन कर के अन्तंगत भूतपूर्व नरेशों को जीवन भर के लिये रियायतें दी जा रही हैं। यह रियायत भी उचित नहीं है। भूतपूर्व नरेशों की उत्तराधिकार से प्राप्त आभूषणों के सम्बन्ध में भी धन कर अधिनियम के अन्तंगत छूट दी गई है। विधेयक के खंड 5 (ख) के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है कि उत्तराधिकार से प्राप्त ये आभूषण हमारे देश के मूल्यवान पुरावशेष हैं और इसलिये इनका संरक्षण किया जाना चाहिये। इन्हें मूल रूप में बनाये रखने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। यदि ऐसा है तो भूतपूर्व नरेशों के कब्जे से क्यों नहीं हटाया जाता है और राष्ट्रीय संग्रहालय में क्यों नहीं रखा जाता है।

संविधान (26वां संशोधन) विधेयक पेश करते समय भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रहात अनुदान देने का प्रयत्न किया गया था। विरोधी दल के सदस्यों ने उस समय भी इसका विरोध किया था। इसके पश्चात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय भूतपूर्व नरेशों को संक्रणमकालीन भत्ते के संदर्भ में भी हमने इसका विरोध किया था। निजी थैलियां समाप्त करने के पश्चात सरकार ने अब उन्हें अनुग्रहात अनुदान देने का निर्णय किया है। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति यही आशा करेगा कि विधेयक को स्वीकृति देने से पहले ऐसे भुगतान करने के प्रश्न पर चर्चा की जानी चाहिये। सरकार ने केवल सत्ताधारी दल का बहुमत होने के कारण, 10.70 करोड़ रुपये की राशि भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान के रूप में देने का निर्णय किया है। यह रियायत नहीं है, अनुग्रहपूर्वक भुगतान है।

चूंकि सरकार को इस सभा में भारी बहुमत मिला हुआ है, अतः वह संसदीय नियमों तथा औचित्य का बहुत कम सम्मान कर रही है।

यह अनुग्रहपूर्वक भुगतान किन व्यक्तियों को मिलेगा ? यह उन नरेशों को मिलेगा जिन्हें गत 25 वर्षों के दौरान निजी थैलियों के रूप में लगभग 102.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, इन भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान करने का वह विरोध करता रहा है। इस प्रकार का भुगतान करने में कोई औचित्य नहीं है। मन्त्री महोदय को विधेयक में इसके बारे में आवश्यक संशोधन पेश करने चाहिए।

मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि इस अनुग्रहपूर्वक भुगतान के पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं।

यहां तक कि संसद द्वारा अनुग्रहपूर्वक भुगतान के सिद्धान्त को स्वीकार करने से पूर्व इस विधेयक में इस प्रकार के भुगतानों को आय-कर से छूट देने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए उपबन्ध किया गया है।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए मामलों के बारे में इस विधेयक में उचित संशोधन करके इसे पुनः पुरःस्थापित करें।

***श्री जे० मैथा गौडर** (नीलगिरि) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसमें भूतपूर्व नरेशों को दी जा रही छूट तथा सुविधाओं को समाप्त करने की मांग की गई है। सरकार की इस घोषणा की सराहना नहीं की जा सकती कि इन भूतपूर्व नरेशों को 10.70 करोड़ रुपये की राशि अनुग्रहपूर्वक दी जायेगी। उनको इतनी बड़ी धनराशि किस लिए दी जानी चाहिए। ऐसा करना उचित नहीं है।

सरकार के लिए ऐसी घोषणा करना सर्वथा अनुचित है। या तो सरकार जब तक संसद द्वारा यह विधेयक पारित नहीं होता तब तक भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रह के रूप में 10.70 करोड़ रुपये देने की घोषणा को रोके रखती या वह भूतपूर्व नरेशों को 10.70 करोड़ रुपये देकर इस विधेयक को पेश करती। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कार्यवाही के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Chairman in the Chair]

सरकार अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी के सम्बन्ध में तो किसी निश्चित निर्णय पर अभी तक नहीं पहुंच रही है परन्तु भूतपूर्व नरेशों को इतनी बड़ी धनराशि दे रही है।

सत्तारूढ़ दल को इतना भारी बहुमत केवल इस प्रचार से मिला कि वह भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां तथा अन्य विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहती है। अब इस घोषणा-पत्र के आधार पर सत्तारूढ़ होने के बाद ही सरकार भूतपूर्व नरेशों को 10.70 करोड़ रुपये की धनराशि देकर लोकधन का अपव्यय कर रही है।

चूंकि प्रधानमन्त्री ने भूतपूर्व नरेशों को 10.70 करोड़ रुपये देने के इस प्रश्न पर निर्णय लिया है अतः इस प्रकार के भुगतान को आय-कर से छूट देने हेतु आय-कर अधिनियम में संशोधन करने के लिए इस विधेयक में एक उपबन्ध किया गया है। इस मामले पर सभा को चर्चा करने का अवसर नहीं दिया है।

मैं मन्त्री महोदय से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

अनुग्रहपूर्वक भुगतान सम्बन्धी उपबन्ध को हटाकर इसे पुनः पुरःस्थापित किया जा सकता है।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The introduction of this Bill is natural but there seems to be a political motive behind this move. An assurance which is being given even

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

to-day at the time of abolition of the privileges is that the ex-rulers will be given a transitional allowance to adjust themselves with the changed circumstances and the amount of that allowance will be to the tune of Rs. 10.75 crores. What is the criterion for making this ex-gratia payment ? I am apprehensive that the Government is using it as a political lever to win over the former rulers to their side because the former Congress Government in Mysore categorically stated on the floor of the House that some of the palaces of the ex-ruler of Mysore should be treated as State property but now it is reportedly being said by the New Congress Government in Mysore that they should be treated as private property.

These ex-rulers are employing several persons for their private work. When the privy purse is abolished, what will be the fate of the poor employees of these ex-rulers ? Will the Government rehabilitate them or not ? Who will take the responsibility of providing alternative means for their service, residences, pension etc. ? The privileges of the ex-rulers have been abolished but there is no mention of the rights of common man, in this Bill. The agreement which was entered into by the Government with these rulers, whatever might be the circumstances under which that was entered into, should be honoured.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष पीठ द्वारा कल स्पष्ट आदेश दे दिए जाने के उपरान्त भी हमें यह नहीं बताया गया है कि इन भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान का आधार क्या होगा। इस 10.7 करोड़ रुपये की राशि देने का क्या औचित्य है, यह भी हमें अभी तक नहीं बताया गया है।

इन भुगतानों को पूर्णतया कर-मुक्त करने के बारे में हमें कहा जा रहा है। हमें वास्तव में यह पता नहीं है कि हमें इसे कर-मुक्त करने के लिये क्यों कहा जा रहा है। यह भी कहा गया है कि ऐसा "संक्रमण काल" के लिए किया गया है। इन सब बातों के बारे में हमें अंधेरे में रखा गया है।

यह बात हमारे ध्यान में आई है कि मैसूर के भूतपूर्व नरेश, मैसूर के महाराजा के कुछ प्रासादों को, महलों को, जिन्हें राज्य की सम्पत्ति माना गया है, अब भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति मानें जाने की मांग की गई है। इन प्रासादों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की बहुत बड़ी धन-राशि व्यय की जा रही है और फिर भी इन्हें निजी सम्पत्ति मानने के लिए कहा जा रहा है। जब श्री वीरेन्द्र पाटिल मैसूर के मुख्य-मंत्री थे तो मैसूर सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वह इन प्रासादों को निजी सम्पत्ति नहीं मान सकती। इसके उपरान्त केन्द्रीय सरकार ने अभी मैसूर सरकार को सूचना दी है कि उन प्रासादों को निजी सम्पत्ति माना जाये।

यदि एक ही प्रासाद है तो हमें सब प्रासादों की सूची दी जानी चाहिए तथा यह बताया जाना चाहिए कि एकीकरण के करारों के अनुसार कुछ प्रासादों को राज्य की सम्पत्ति माना जायेगा अथवा कुछ करारों के अनुसार कुछ अन्य प्रासादों को निजी सम्पत्ति माना जायेगा।

इन प्रस्तावित संशोधनों में से कुछ संशोधनों का आशय स्पष्ट नहीं किया गया है, उस पर हमें आपत्ति है। आशा है, मन्त्री महोदय उत्तर देते समय इन बातों को सभा में स्पष्ट करेंगे।

श्री एच० आर० गोखले : यद्यपि इस विधेयक का सभा में समर्थन किया गया है तथापि अनेक प्रश्न ऐसे उठाये गए हैं जो निस्संदेह संगत हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के बारे में एक प्रश्न यह उठाया गया है कि नरेश बनाने के सिद्धान्त को समाप्त करने के बाद की स्थिति इतनी बदल गई है कि भूतपूर्व नरेशों को दिये जाने वाले संरक्षण के लिये अब कोई कानूनी औचित्य नहीं रहा है। उदाहरणार्थ केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। यदि उन्हें कोई मुकद्दमा चलाना है अथवा अदालत में अपना बचाव करना हुआ तो केन्द्रीय सरकार को चाहिये

कि मुकद्दमें में उनके बचाव का प्रबन्ध करे। ये ऐसे मामले हैं जो अनुच्छेद 292, 362 की समाप्ति के बाद नहीं उठेंगे। एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि 26 जनवरी, 1950 से पहले किये गये अपराधों में छूट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऐसा उचित समझा गया था कि कोई व्यक्ति किसी नरेश विशेष के विरुद्ध 25 वर्ष से चले आ रहे पुराने मुकदमे को न्यायालय में न ले जाये, इस छूट की व्यवस्था होनी चाहिए परन्तु यह स्पष्ट है कि 26 जनवरी, 1950 के बाद कोई इस बारे मे संरक्षण नहीं है। इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद इन नरेशों को कोई भी नागरिक न्यायालय में ले जा सकता है।

सिविल प्रोसीजर कोड के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया तथा कुछ बातें बताई गईं। इस विधेयक के उपबन्ध से स्पष्ट है कि संविधान के लागू होने के बाद से भूतपूर्व नरेशों के विरुद्ध कोई भी दीवानी मुकदमा दायर किया जा सकता है, इस बारे में अब कोई भी छूट नहीं है। यहां तक कि गिरफ्तारी के मामले में दी जाने वाली छूट भी समाप्त कर दी गई है।

आयकर अधिनियम, उपहार-कर अधिनियम तथा धन-कर अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी अन्य उपबन्धों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 366 में संशोधन करने के बाद कोई राज्य में नरेश का नया उत्तराधिकारी नहीं होगा तथा जो नरेश जीवित है और जो अब से बाद में नरेश नहीं रहे, उनके सम्बन्ध में उनकी सम्पत्ति में से केवल एक रिहायशी मकान को ही धन कर से छूट दी गई है।

जहां तक उपहार-कर अधिनियम का सम्बन्ध है, उपबंध वैसे ही है। उपहार-कर से उनको कोई छूट नहीं दी गई है। अब यदि कोई उपहार चाहे वह अनुग्रहपूर्वक भुगतान की राशि में से हो अथवा निजी थैलियों की बकाया राशि में से दिया गया हो, उपहार-कर से मुक्त नहीं होगा।

आय कर के संबंध में, उपबन्ध दो-सूत्री है। यह विधेयक अनुग्रहपूर्वक भुगतान का अधिकार प्रदान नहीं करता है। जब सभा में मांगों पर चर्चा की जायेगी तब सभा की सलाह ली जायेगी।

यह कहा गया है कि कर से छूट क्यों दी गई है ? "राजकुमार" शब्द से किसी को ऐसा लगता है कि वह बहुत बड़ा नरेश होगा परन्तु वास्तविकता यह है कि सभी नरेश बड़े नरेश नहीं हैं। उनको निजी थैलियां भी बहुत थोड़ी मिलती हैं। छोटे नरेशों के लिये सरकार को विचार करना पड़ेगा कि थोड़ा संक्रमणकालीन भुगतान किया जाये अथवा नहीं किया जाये।

यदि यह भुगतान करना होगा और संसद को इसकी मंजूरी देनी होगी तो यदि इस राशि पर कर लगेगा तो भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि भुगतान किया गया और इस भुगतान का काफी अंश सरकार ने ले लिया तो वह केवल नाम मात्र का भुगतान होगा।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि भूतपूर्व नरेशों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में इस विधेयक में उल्लेख क्यों नहीं किया गया, मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। इस विधेयक का सम्बन्ध विशेषाधिकारों की समाप्ति से है, अतः इसमें उनके कर्मचारियों को अन्यत्र सेवाओं में लेने का उपबन्ध कैसे किया जा सकता है। वैसे सरकार राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए है कि वे भूतपूर्व नरेशों के कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी सेवाओं में उचित स्थान दें।

पैतृक आभूषणों के बारे में भी थोड़ा उल्लेख किया गया था। जब धन-कर अधिनियम लागू

हुआ था तो यह उपबन्ध किया गया था कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को पैतृक आभूषणों के उपयोग आदि पर नियंत्रण रखने का हक होगा और इन नियमों के अन्तर्गत कुछ नरेशों की पैतृक सम्पत्ति को उनकी सम्पत्ति मान लिया जा सकता है।

वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से अधिक कठोर नियम बनाये गये हैं। इसका परिणाम यह निकला कि वे सभी नरेश जो धन कर से छूट की मांग कर रहे थे, उन्होंने यदि इस प्रस्तावित विधेयक के खण्डों में दी गई शर्तों का पालन किया तो उन्हें अवश्य छूट मिलेगी। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद ऐसा कोई भी नरेश नहीं रहेगा जिसके पास पैतृक आभूषण बिना सरकार के नियंत्रण के रहे।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह विधेयक सरकार द्वारा पारित संविधान (26वें संशोधन) विधेयक में जो कुछ कहा गया है, उसके संदर्भ में है। यह उसी समय स्पष्ट कर दिया गया था कि यद्यपि यह सच है कि देश में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को बनाये रखने की प्रथा को समाप्त किया जाये परन्तु सरकार का यह अभिप्राय नहीं है कि वह किसी प्रकार का बदला लेना चाहती है। अतः यह विधेयक जो सभा के समक्ष लाया गया है, वह सरकार की नीति के एकदम अनुरूप है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : कल यह समझा गया था कि यदि अनुपूरक मांगों पर चर्चा से पहले इस विधेयक पर चर्चा हुई तो हम मांगों पर सोच विचार कर सकेंगे। अब मंत्री महोदय यह कहते हैं कि अनुपूरक मांगों के पारित होने के बाद इसको लागू किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उन मांगों पर सभा में कब चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक में कहा गया है कि जब अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया जायेगा तो वह भुगतान आयकर से मुक्त होगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि अनुपूरक मांगों पर पहले चर्चा होती तो यह अधिक तर्कसंगत बात होती।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मान लें कि कल को सरकार इन राजाओं को अनुग्रह-पूर्वक अदायगी के लिये 200 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तुत करे तो क्या इस विधेयक के अनुसार यह धनराशि बिना आय कर के दी जा सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का तो यही अर्थ है। प्रश्न यह है :

"कि भारतीय राज्यों के शासकों की मान्यता वापस लिये जाने और निजी थैली की समाप्ति के परिणामस्वरूप कतिपय अधिनियमितियों का और संशोधन करने के लिये, जिससे शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो जाये, और उक्त शासकों को धीरे-धीरे परिवर्तित परिस्थितियों का अभ्यस्त बनने में समर्थ बनाने के लिये कुछ अन्तःकालीन उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

खंड 2

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खंड 3

श्री एम० कतामुत्तु (नागापट्टिनम) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री एम० कतामुत्तु का संशोधन संख्या 1 सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 1 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 3 तथा 4 सदन में मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"खंड 3 तथा 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 3 तथा 4 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 3 and 4 were added to the Bill

खंड 5

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 5 पर श्री एम० कतामुत्तु द्वारा एक संशोधन की सूचना है।

श्री एम० कतामुत्तु : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे के संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इस के लिए संविधान के अनुच्छेद 117 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है जो कि प्राप्त नहीं की गई है।

श्री अन्नासाहेब गोटखिंडे (सांगली) : मैंने तो सिफारिश के लिए प्रार्थना की है। परन्तु यदि अभी तक प्राप्त नहीं हुई तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 2 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 5 was added to the Bill

खंड 6 को भी विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6 was also added to the Bill

खंड 7

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर श्री एम० कतामुत्तु के संशोधन संख्या 3 की सूचना है।

श्री एम० कतामुत्तु : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोटखिंडे आपके संशोधन संख्या 5,7,8, तथा 10 प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। यह कर ढांचे में परिवर्तन के बारे में है और जैसा कि मैंने पहले कहा है इनके लिए भी राष्ट्रपति जी की सिफारिश की आवश्यकता है। आप अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अन्ना साहेब गोटखिंडे : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड 7 पर संशोधन संख्या 3 तथा 6 मतदान के लिए रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 तथा 6 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 7 was added to the Bill

खंड 8 (नया)

श्री आर० बी० बडे (खरगोन) : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

अब माननीय मंत्री ने यह कहा है कि विधेयक के पारित होने के पश्चात् कर्मचारियों के हितों पर भी विचार किया जायेगा । अतः मैं अपना संशोधन नहीं रख रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापस लेने के लिए सदन की अनुमति है ?

संशोधन संख्या 11 सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया
Amendment No. 11 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

बीज (संशोधन) विधेयक
SEEDS (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बीज (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बीज अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

कृषि उत्पादन में बीज का बहुत अधिक महत्व है । पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन में जो सफलता प्राप्त हुई, वास्तव में उसका मुख्य कारण बीजों की सुधरी किस्में ही थीं । 1966 का बीज विधेयक बीजों की किस्म को विनियमित करने की दिशा में प्रथम कदम था । उस अधिनियम के अनुसार कुछ अधिसूचित किस्मों तथा फसलों के बीजों के लिए न केवल न्यूनतम मानक नियत किए गए थे, अपितु उसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रमाणीकरण के लिए बीज उगा सकता है ।

अधिनियम की धाराओं के अनुसार राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में प्रमाणीकरण अभिकरण स्थापित कर सकती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे अभिकरण स्थापित कर रखे हैं और कुछ अन्य राज्य सरकारों ने यह कार्य राष्ट्रीय बीज निगम को सौंप रखा है। किसी भी प्रमाणीकरण अभिकरण को यदि बीज उत्पादकों और किसानों का विश्वास प्राप्त करना है तो इसे बीज उत्पादन, विपणन और बीज नियमों का पालन करने संबंधी दायित्वों से मुक्त एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिये। जब तक अधिकतर राज्यों में राष्ट्रीय बीज निगम प्रमाणीकरण के लिए सरकारी अभिकरण था, तब तक मानकों तथा प्रक्रिया के एक जैसे नियम थे परन्तु राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में स्वतंत्र अभिकरणों की स्थापना के साथ अब यह आवश्यक हो गया है कि प्रमाणीकरण के मानकों में एकरूपता बनाई जाय और इसी उद्देश्य से यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार एक केन्द्रीय सांविधिक बीज प्रमाणीकरण बोर्ड स्थापित किया जायेगा जो राज्यों में बीज प्रमाणीकरण अभिकरणों के कार्यों में समन्वय करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देगा।

प्रमाणीकृत बीज को सबसे बढ़िया किस्म का होना चाहिये। अतः इस विधेयक की धारा 9 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रमाणीकृत बीजों के अलग-अलग मानक नियत किये जा सकते हैं। आज प्रमाणीकरण एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और विधेयक की व्यवस्था उत्पादक को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन है कि अकुंरण और शुद्धता की दृष्टि से बीज उच्चतम किस्म का होना चाहिये। अतः इस विचार से हमने प्रमाणीकृत बीजों के लिए उच्चतम मानकों की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है।

देश के लिए पटसन के महत्व को बताना जरूरी नहीं है। पटसन के उत्पादन को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए सबसे बढ़िया किस्म के बीज जरूरी हैं। प्रस्तावित संशोधन के द्वारा हम पटसन को विधान की सीमा में ला रहे हैं।

मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक का स्वागत करेगा। इस बात को भी सभी पक्ष स्वीकार करेंगे कि यह विवादास्पद विषय नहीं है। समय बीतने के साथ-साथ हमें नये-नये अनुभव प्राप्त हो रहे हैं और कृषि उद्योग भी आधुनिक हो रहा है। इससे यह समझा गया है कि इस प्रकार का बीज बोर्ड बहुत ही आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर श्री एस० एन० सिंह के संशोधन की सूचना है परन्तु वह उपस्थित नहीं। अतः उसे प्रस्तुत नहीं किया जा रहा।

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : इस विधेयक का उद्देश्य 1966 के मूल अधिनियम की चार धाराओं का संशोधन करना है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इस विधेयक का कोई महत्व नहीं है।

कृषि के क्षेत्र में बीजों की समुचित किस्म तथा कोटि निर्धारण का विशेष महत्व है। इस विधेयक के अन्तर्गत जिस बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है, उस बोर्ड पर बहुत उत्तरदायित्व आ जाता है। परंतु मेरा विचार है कि प्रस्तावित बोर्ड अपने उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि इसमें अधिकारी भरे हुए हैं। इसमें व्यापारियों को प्रतिनिधित्व देने का भी कोई औचित्य नहीं है।

पटसन के बीज को इसके अन्तर्गत लाया जाना स्वागत योग्य है। परन्तु इस बारे में एक बात समझ से परे है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में बताया गया है कि पटसन फसल के

महत्व की दृष्टि से पटसन के बीजों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जा रहा है। सरकार को 25 वर्षों के पश्चात पटसन के महत्व की बात समझ में आई है। यद्यपि इस फसल द्वारा इन वर्षों में पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित हुई हैं। धारा 8 (ग) में "उनके गठन में किसी दोष के कारण" शब्दों का कोई औचित्य नहीं है। क्या मंत्री महोदय समझते हैं कि उनके गठन में दोष रह जाएगा ?

बोर्ड द्वारा बीज का प्रमाणीकरण बहुत सावधानी से किया जाना चाहिये। आज के वर्तमान अफसरशाही ढांचे में यह संभावना की जा सकती है कि स्वार्थ हित के पक्ष बुरे बीजों को अच्छे बीजों के रूप में प्रमाणीकृत करवा लेंगे। अत: बोर्ड का यह कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अच्छे बीज उत्पादकों को उपलब्ध हो सकें। इस बारे में थोड़ी सी सावधानी भी इस विधेयक के उद्देश्यों को असफल बना देगी।

श्री मोहन राज कलिंगारायर (पोल्लाची) : सरकार ने इस विधेयक की आवश्यकता बहुत देर से महसूस की है अन्यथा इस विधेयक को बहुत पहले लाया गया होता। हमारे देश के बहुत बड़े भाग पर कृषि होती है और देश के अधिकतर भागों में आधुनिक उपकरणों, अच्छे बीजों आदि की दृष्टि से कृषि बहुत पिछड़ी हुई है। अत: सरकार का यह प्रयास प्रंशसनीय है।

यह बहुत अचम्भे की बात है कि सरकार ने पटसन के बीजों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत ले लिया है। इस बारे में अचम्भे की बात यह है कि सरकार ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया। पटसन हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है। इससे देश द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। समझ में नहीं आता कि सरकार से अब तक यह चूक क्यों हुई।

केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के गठन के बारे में मुझे यह कहना है कि इसमें किसानों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

Shri R. V. Bade (Khargone) : It has been stated that Central Seeds Certification Board would comprise of 21 members. It has been further stated that the Government would nominate 13 representatives to represent "such interests as that Government thinks fit". The Government should clarify what it means by "such interests".

If the Government is serious about the interests of farmers, it should nominate 13 members to represent seed producers, whereas this Bill provides that four people would represent seed producers or trade men.

Four developed Agriculture Seed Production farms have been set up in Madhya Pradesh out of these three farms are running on loss. Seeds supplied by these farms are not quality seeds. Government should improve the working of these farms.

In order to obtain certificates farmers have to face lot of difficulties. They have to travel a long distance in order to obtain certificate. Government should pay attention towards this. Branches of the proposed Board should be opened in Districts. It would be a great facility to the farmers.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के गठन में 13 व्यक्ति सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे। इन व्यक्तियों में से कम से कम चार व्यक्ति बीज उत्पादकों अथवा व्यापारियों के प्रतिनिधि होंगे। विधेयक में इस बारे में जो भाषा प्रयोग की गई है, उससे यह संभावना भी होती है कि बीज उत्पादकों को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व न दिया जाए। अत: इस बारे में स्पष्टतया उल्लेख होना चाहिये कि इस नये गठित बोर्ड में बीज उत्पादकों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा अथवा नहीं।

Shri Darbara Singh (Gurdaspur) : High yielding variety seeds were being made available to farmers under Seeds Act, 1966. Produces of such seeds were the sellers also of those seeds. They sold such seeds at exorbitant rates. It is high time that we should learn a lesson from that.

Proposed Certification Board would consist of Experts, Sellers and Producers. Government is encouraging farmers to produce quality seeds. But what has been the fate of State seed farms ? Such farms are running on losses. These farms are disposing of their lands. On the other hand seeds supplied by private producers were without germination capacity. Government should take stringent action against those who sell low quality seeds.

Jute seeds are also very important for our country. Jute is a foreign exchange earner for our country. We should accelerate our actions to increase the production of Jute.

Government should set up seed centres at different places so that seeds become available at time and early.

There was a seed farm in Jullunder District. This farm was set up with Russian Collaboration. It was serving the interests of farmers of that area. But that farm has been rounded up. The reasons for that are best known to the Government. But reasons for its rounding off should be explained here.

Producers should be given increased representation than proposed in the Bill. Persons who could distinguish in the seeds should also be given representation.

Shri Teja Singh Swatantra (Sangrur) : The amending Bill brought by the Agriculture. Ministry is very important one. The high yielding varieties of seeds have brought about green revolution in our agriculture. They have not only helped the country in tackling its food problem but are taking the country towards sulf-sufficiency in food grains and thus saving a lot of foreign exchange. But the recent experience shows that the production of hybrid seeds had fallen. What is the reason of this shortfall ?

There is lot of corruption in the sale of seeds. Private producers obtains a certificate by offering bribe. As such, Government should undertake production of seeds entirely in their own farms and they should be sold to the small farmers at fixed price in sealed containers with quality marking on them. These should be sold by Government shops in sufficient quantity.

Private producers should not be given representation in Certification Board. Persons whose integrity is above board should be included in this Board.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : सभी सदस्य इस बात से सहमत हैं कि भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण किया जाये । इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता बीज है । भारतीय वैज्ञानिक अब अच्छे और आधुनिक बीज तैयार करने में सक्षम हैं । इस सम्बन्ध में श्री स्वत्रंत का सुझाव बहुत ही उचित है कि बीज को सर्व साधारण में किस प्रकार उचित ढंग से पहुंचाया जाये । इस समय इसमें बहुत-सी कमियां हैं, इन्हें दूर करना चाहिए ।

एक सुझाव दिया गया कि बीज को डिब्बों में बन्द करके किसानों में बांटा जाये तो यह उपबन्ध विधेयक में है । यदि कोई दुकानदार इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है ।

इस विधेयक के द्वारा हम एक केन्द्रीय प्रमाणीकरण बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं । इसके 21 सदस्यों में से केवल चार अधिकारी हैं । अन्य सदस्य कृषि विशेषज्ञ या उत्पादकों और व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं । हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि इसमें उत्पादकों और किसानों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बीजों का सही और ध्यानपूर्वक प्रमाणीकरण करना है। 1966 के बीज अधिनियम में कानूनी व्याख्या के कारण जूट के बीज को शामिल नहीं किया गया था। हमारा बीज उद्योग धीरे-धीरे उन्नति कर रहा है और इस लिए अब हम इसके अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं के बीजों को भी ला रहे हैं।

बीजों के वितरण की बात उठाई गई है। वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कभी-कभी ऐसा होता है कि राज्य सरकारें ठीक समय पर बीज मांगती हैं और इस कारण किसानों को समय पर बीज नहीं मिल पाता है। प्राकृतिक प्रकोपों के लिए सरकार को बफर स्टाक रखना आवश्यक हो गया है, जिससे कि बीजों के अभाव में किसी क्षेत्र विशेष के किसानों को हानि न उठानी पड़े और खाद्यान्न की उपज न गिरे।

श्री तेजा सिंह स्वतंत्र ने कहा कि अधिक उपज देने वाले बीज अच्छी उपज नहीं दे रहे हैं, उनकी पैदावार गिरती जा रही है। इस सम्बन्ध में और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैंने अपने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। आधुनिक बीज काफी लोकप्रिय हुए हैं और इस कारण मुझे आशा है कि हमारा बीज उद्योग उन्नति करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं सभा को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उसने एकमत से विधेयक का समर्थन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीज अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड वार विचार करते हैं। खण्ड 2 के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड दो विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 के लिए 2 संशोधन हैं। क्या श्री नायक अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री द्वारा किए गये स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मैं संशोधन पेश नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी खण्डों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 3 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये
Clauses 3 to 5, Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

प्रत्यक्ष कर जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE. FINAL REPORT OF THE DIRECT TAXES ENQUIRY COMMITTEE

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री ज्योतिर्मय बसु के निम्न प्रस्ताव पर विचार करते हैं :

"कि यह सभा प्रत्यक्ष कर जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन पर, जो 20 मार्च, 1972 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा प्रत्यक्ष कर जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन पर, जो 20 मार्च, 1972 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

यह समिति 2 मार्च, 1970 को एक सरकारी संकल्प के अनुसार नियुक्त की गई थी। संकल्प के पाठ में समिति की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट था। पर सरकार उस उद्देश्य से हट गई है। वांचू समिति का यह अन्तिम प्रतिवेदन दबाव में और बोलकर लिखाया गया लगता है।

कुछ दिन पहले राज्य सभा में बताया गया कि कुछ बड़े व्यापार गृहों की सम्पत्ति में पिछले 5 सालों में 25 और 75 प्रतिशत वृद्धि हुई है और ऐसा जब हुआ जबकि औद्योगिक उन्नति बिलकुल नहीं हुई। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि काले धन को रोकने के लिए उसने कोई उपचारात्मक उपाय क्यों नहीं किए ? रिपोर्ट में कहीं भी उनका जिक्र नहीं है, क्योंकि वह दबाव में लिखी गई है।

श्रेणी दो के आयकर अधिकारियों ने भेदभाव की बात उठाई है। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि जब श्रेणी एक और दो के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बिलकुल एक सी हैं, तब तक इस प्रकार भेदभाव पूर्ण श्रेणी विभाजन क्यों ? यह सर्वथा अन्याय है।

12 नवम्बर, 1970 को प्रस्तुत की गई अन्तरिम रिपोर्ट को दबा दिया गया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वित्त मंत्री रहते हुए भी सब मामला दबा दिया था यहां तक कि अपने सहयोगियों तक को उन्होंने कुछ नहीं बताया था। इतना ही नहीं समिति पर उसे बदलने के लिए दबाव डाला गया। परिणामस्वरूप अन्तिम रिपोर्ट में समिति ने अन्तरिम रिपोर्ट का कोई जिक्र ही नहीं किया। अन्तरिम रिपोर्ट को प्रकाशित न करने का भी यही कारण वित्त मंत्री ने बताया कि अन्तिम रिपोर्ट के छपने के बाद अन्तरिम रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। पर ऐसा कहना सभा को गुमराह करना है, क्योंकि अन्तरिम रिपोर्ट में बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं श्री चव्हाण की बात का समर्थन करता हूं। अन्तिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 12 में कहा गया है कि दिये गये सुझावों पर पूरी तरह विचार करने पर भी यही पाया गया कि अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें ही उचित और संभाव्य हैं, प्रश्न तो अब यह है कि उचित अथवा अनुचित के बारे में निर्णय कौन करे ? आप तो लोकतंत्र की बात करते हैं। हम सब वस्तुतः यहां लोकतंत्र का केवल लबादा ओढ़े बैठे हैं अन्यथा वस्तुतः तो सब कुछ सरकार की ही इच्छा से होता है। लोकतंत्र का नाम तो केवल जनता को गुमराह करने के लिये है।

12 नवम्बर 1970 को अन्तरिम समिति ने कहा कि वे ऐसे मामलों पर तुरन्त उपचारात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश कर रहे हैं जिनके लिये अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती और फिर उन्होंने एक मामला "काले धन" का बताया जिसका अस्तित्व हमारी अर्थव्यवस्था को खाये जा रहा है। इसको बाहर निकालने के लिये समिति ने तुरन्त ही निम्नलिखित तीन उपाय करने की सिफारिश की :

(1) विमुद्रीकरण।

(2) नकद जमाराशि पर अधिकतम सीमा का निर्धारण।

(3) खरीदते समय कम मूल्य लगाने के मामले में अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण।

इसके पश्चात् समिति ने कहा कि यद्यपि बाद के दो उपाय स्थायी रूप से किये जाने हैं, फिर भी उन्हें तुरन्त ही कानून का रूप दिया जाना चाहिये।

इस प्रकार इस उच्चशक्ति प्राप्त समिति ने तुरन्त ही विमुद्रीकरण की सिफारिश 12 नवम्बर, 1970 को की। परन्तु क्योंकि श्रीमती गांधी केवल काले धन के बल पर ही शासन कर रही हैं, अतः इस प्रतिवेदन को क्रियान्वित करना तो दूर रहा, $1\frac{1}{2}$ वर्ष तक इसे दबाये भी रक्खा गया। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि विमुद्रीकरण को कर की बकाया राशि को भी वसूल करने के लिये उपयोग में लाया जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : श्रीमन, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हो रहा हूं। यहां हम प्रत्यक्ष कर जांच समिति की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं जबकि माननीय सदस्य किसी अन्य दस्तावेज अर्थात अंतरिम प्रतिवेदन का बार-बार संदर्भ दे रहे हैं। वह अनेक आरोप भी लगाते जा रहे

हैं। माननीय सदस्य को चाहिए कि वे संगत विषय पर बोलें तथा अन्तिम प्रतिवेदन अपना मत व्यक्त करें, न कि अन्तरिम प्रतिवेदन पर। उन्होंने प्रधान मंत्री पर काले धन के सहारे शासन करने का आरोप लगाया। मेरा अनुरोध है कि वह संगत विषय पर तथा विचाराधीन रिपोर्ट पर ही बात करें। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक सामान्य रूप से संगत विषय पर बात करने का प्रश्न है, तो उनकी यह उचित अपत्ति नहीं है परन्तु यदि वह किसी विशिष्ट बात पर असंबंधित होने का प्रश्न उठाते हैं, तभी मैं इसके बारे में अपनी राय बता सकता हूं। माननीय सदस्य संभवतया यही समझते हैं कि अंतरिम प्रतिवदन पर बोलना असंबंधित है।

श्री सी० एम० स्टीफन : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु विचाराधीन अन्तिम प्रतिवेदन में भी अंतरिम प्रतिवेदन का जिक्र किया गया है। फिर मैं कैसे कह दूं ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में तथा यहां पर अपने भाषण में भी दो वित्त मंत्रियों का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रधान मंत्री पर इस प्रतिवेदन के प्रकाशन को रोकने तथा वहां कुछ अधिकारी भेजने आदि का आरोप लगाया। जब अंतरिम प्रतिवेदन पेश किया गया था, उस समय प्रधान मंत्री वित्त मंत्री नहीं थीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं भी यह मानता हूं। परन्तु फिर भी मैं यहां दावे से कहता हूं कि प्रधान मंत्री श्री मती इंदिरा गांधी, जो कि एक समय वित्त मंत्री भी थीं, ने इस प्रतिवेदन को दबाया था। मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय इसका खण्डन करें। इस महत्वपूर्ण समिति ने यह भी कहा था कि उसे वर्ष 1949 में किये गये विमुद्रीकरण के असफल परिणामों की पूरी जानकारी है परन्तु फिर यह उपाय इस समय किया जाये तो हमें विश्वास है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में इसके बहुत प्रभावपूर्ण परिणाम निकलेंगे। साथ ही इस समिति ने कई सुरक्षात्मक उपायों जैसे नकद जमा पूंजी पर अधिकतम सीमा, लेखा-पुस्तकों पर मुहर लगाना तथा हस्ताक्षर करना तथा घोषित आय को आयकर विभाग द्वारा तुरन्त जांच आदि को भी सिफारिश की है। परन्तु इसमें सबसे अधिक महत्व विमुद्रीकरण को दिया गया है।

दिल्ली के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार सरकार की इच्छा 5000 रुपये की नकद राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की थी। परन्तु श्री चव्हाण इसे भी सहन नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि इतना करना भी संभव नहीं है।

आज सारे देश के लोगों की इच्छा है कि वांचू समिति को सभी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये। नकद राशि आभूषणों तथा मूल्यवान वस्तुओं की अधितम सीमा निर्धारित की जाये; लॉकरों तथा वॉल्टों की जांच की जाये और किसी निर्धारित राशि से अधिक जमा राशि के साथ आयकर का क्रमांक संलग्न किया जाये। यह सारी कार्यवाही एक ही दिन में पूरी की जाये। यदि सरकार सचमुच ही इस समस्या को हल करना चाहती है तो उसे ऐसे कड़े उपाय करने ही होंगे। देश के हितों को देखते हुए दलगत हितों को तो ताक पर ही रखना होगा।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेल्लारी) : श्री ज्योतिर्मय बसु सर्वदा प्रधान मंत्री के विषय में ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं। अच्छा तो यही होगा कि वह एक बार प्रधान मंत्री के साथ मिल लें तथा जो कुछ उनके मस्तिक में भरा पड़ा है, उनसे कह डालें तथा फिर चुप हो जायें। मुझे बड़ी आशा

थी कि श्री ज्योतिमय बसु अर्थशास्त्र के ज्ञाता होने के कारण वांचू समिति की सिफारिशों के आर्थिक पहलुओं पर अवश्य विचार करेंगे परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने ऐसा करने का कष्ट ही नहीं किया।

मुख्य रूप से उन्होंने विमुद्रीकरण के बारे में जोर दिया है। न जाने उन्हें कहां से तथाकथित अंतरिम प्रतिवेदन की कोई प्रति मिल गई है जिसे उन्होंने सभापटल पर भी रख दिया है तथा उसी के संदर्भ में वह तुरन्त ही विमुद्रीकरण करने का आग्रह कर रहे हैं।

विमुद्रीकरण वस्तुतः कोई ऐसी उपचारात्मक कार्यवाही नहीं है जिसे कतिपय सरकारी अधिकारियों सरकारी व्यक्तियों आदि की एक समिति की सिफारिश के आधार पर लागू कर दिया जाये। यह तो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय होता है जिसे विभिन्न प्रकार की गोपनीयताओं तथा सरकारी प्रशासन के सभी सम्बद्ध मामलों के संदर्भ में विचार कर के किया जाता है।

हमने कुछ दिन हुए विमुद्रीकरण किया था परन्तु वह 1000 रुपये के नोटों से संबंधित था और हम सब जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था। यहां तक कि 1000 रु० के नोट के विमुद्रीकरण के कारण बाजार में तनाव का वातावरण फैल गया था। हालांकि एक हजार रुपये वाले नोट भी केवल कुछ ही व्यक्तियों, श्री ज्योतिर्मय बसु जैसे व्यक्तियों के पास थे। और फिर हम तथा कथित प्रतिवेदन में तो 100 रुपये के ही नहीं वरन 10 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण करने की सिफारिश बताई जाती है।

हमें याद रखना चाहिये कि हम सारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुसार किये जाने वाले विमुद्रीकरण के फलस्वरूप तो 100 रुपये के साथ-साथ 10 रुपये के नोटों का भी विमुद्रीकरण किया जाना चाहिये जो कि स्वयं में बहुत बुरा होगा। देश भर के न जाने कितने लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जबकि चोर बाजारी करने वाले पूंजीपतियों तथा राजनैतिक चन्दे वालों पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल गरीब किसान औद्योगिक श्रमिक तथा स्कूल के अध्यापकों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा।

इस समय प्रश्न 10 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण का है। किसी ने कहा था कि अंतरिम प्रतिवेदन को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया। प्रथम तो मुझे इस पर ही खेद था कि इस प्रकार का अंतरिम प्रतिवेदन पेश किया गया क्योंकि विमुद्रीकरण आदि जैसी सिफारिशें बड़े ही गोपनीय ढंग से की जाती हैं और फिर ऐसी सिफारिश को स्वीकार करना ही होता है तथा फिर एकदम अविलंब लागू भी करना होता है।

विमुद्रीकरण अवमूल्यन के समान ही होता है तथा इनकी सिफारिश किसी समिति आदि द्वारा नहीं की जातो है। अब रही 10 रुपये के नोटों की बात, सो इससे तो सर्वत्र आर्थिक अव्यवस्था तथा भ्रांति फैल जायेगी। हमारे देश में 5,00,000 गांव ऐसे हैं, जहां के मासूम ग्रामवासी मुद्रा और विमुद्रीकरण का अर्थ भी नहीं जानते हैं, आप कहेंगे कि वे समीपवर्ती बैंकों में जाकर नोट बदलवा लेंगे परन्तु आपको यह भी मालूम है कि हमारे देश में बैंकों की केवल 10,000 शाखायें हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को कितना कड़ा धक्का पहुंचेगा, विशेष रूप से उस समय जबकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का विचार कर रहे हैं, अतः विमुद्रीकरण की कार्यवाही हर सूरत में हमारी अर्थव्यवस्था के हितों के सर्वथा विपरीत होगी और इसीलिये मैं इस प्रकार के विमुद्रीकरण का कड़ा विरोध करूंगा।

कुछ लोग समझते हैं कि देश में जो 5000-7000 करोड़ रुपये का जो काला धन विद्यमान है, वह कहीं न कहीं बना रहता है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि यह केवल स्थानान्तरित ही नहीं बल्कि

परिवर्तित भी होता रहता है । काफी बड़ी मात्रा में काला-धन भवनों, भूमि, आभूषणों, स्वर्ण आदि के रूप में परिवर्तित हो चुका है अथवा फिर कुछ सफेद धन के रूप में भी बदल चुका है । अत: विमुद्रीकरण को काला धन बरामद करने का उपाय समझना नाक पर बैठी मक्खी पर तलवार मार कर उड़ाने के समान है ।

फिर भी मैं यह मानता हूं कि देश में काला धन चल रहा है, श्री बसु का सुझाव है कि नकद जमाराशि पर अधिकतम सीमा लागू करके इसे रोका जा सकता है । परन्तु ऐसी अधिकतम सीमा लगाना कैसे संभव है ? इससे तो हर व्यक्ति में सन्देह उत्पन्न हो जायेगा । इसलिये मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि ऐसा कानून बने कि किसी निश्चित न्यूनतम राशि से अधिक की अदायगी नकद राशि के रूप में न की जाये क्योंकि काला धन वहां से आरंभ होता है, जहां अदायगी अनावश्यक रूप से नकद राशि देकर की जाती है । 100 या 50 रुपये की बात तो नकद में ठीक है परन्तु यदि आप 25,000 रुपये की कार लेकर मूल्य नकद नोट देकर चुकाते हैं तो यह ठीक नहीं है । इसी प्रकार विमान का टिकट खरीदते समय भी नकद राशि देने की आवश्यकता नहीं होती है, चैक दिये जा सकते हैं ।

श्री पीलू मोदी : वे लोग बस नकद रुपया मांगते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : और यदि चैक भी अस्वीकृत हो जायें तब क्या हो ?

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : मैं जानता हूं कि चैक अस्वीकृत भी हो जाते हैं परन्तु मेरा कहने का अभिप्राय: यह है कि कोई ऐसी ठोस प्रणाली निकाली जाये जिसके अन्तर्गत जहां तक संभव तथा अनावश्यक हो नकद में अदायगियां न की जायें, और विशेष रूप से 4 अंकों की संख्या में आने वाली रकम तो कभी भी नकद में अदा न की जाये । उपाध्यक्ष महोदय ने पूछा है कि चैक अस्वीकृत हो जायें तो क्या हो । इस बारे में मेरा मत है कि यदि व्यक्ति सुपरिचित हो तो उसके चैक प्राय: स्वीकार हो जाते हैं । अब कोई राह चलता व्यक्ति तो बिना नकद भुगतान किये कार खरीद नहीं सकता । मैं मानता हूं कि हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा चैक स्वीकार करने में बड़ी ही आनाकानी करते हैं । इसका कारण यह भी हो सकता है कि हमारे देश में परस्पर विश्वास बहुत कम है। खैर कारण कुछ भी हो परन्तु मैं इतना तो अवश्य ही कह सकता हूं कि जब तक अदायगी चैक के रूप में हो सकती है तब तक किसी सूरत में भी नकद में भुगतान न किया जाये । जहां तक किसी व्यक्ति परिचित न होने तथा उससे चैक लेने में संकोच होने की बात है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि नकद नोट तथा चैक के मध्य की कोई ऐसी मुद्रा प्रणाली जैसे कि साईट-चैक या ट्रैवलर्स चेक निकाली जाये जिसका आदान-प्रदान भुगतान का कार्य कर दे ? हमें इस प्रकार की कोई ऐसी तकनीकी युक्ति निकालनी चाहिये जिससे लोगों को काला व्यापार करने से रोका जा सके और इस हेतु ट्रैवलर्स चैक जैसी ही कोई अन्य मुद्रा निकालना बड़ा लाभकर सिद्ध हो सकता है । हां, इस आदान-प्रदान में ध्यान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपना नाम पता तथा व्यवसाय बताना होगा और देने वाले के भी इस पर हस्ताक्षर होंगे। यह ट्रैवलर्स चेक जैसे मुद्रा 5,000, 10,000 या बीस हजार चाहे जितनी राशि की हो सकती है । अदा करने वाले के हस्ताक्षर इसलिये आवश्यक हैं ताकि यह पता रहे कि किसने दिया, किसने पाया और किस बाबत भुगतान किया गया ।

काले धन का अर्थ ही अनावश्यक रूप से नकद भुगतान करना है और नकद भुगतान को सीमित करके हम काले धन को भी सीमित कर सकते हैं । बड़े पैमाने पर नकद अदायगी ही काले धन की जड़ है । मैंने तो यह एक सुझाव दिया है । मैं ऐसे मामलों में विशेषज्ञ नहीं हूं । वैसे मुझे विश्वास

है कि नकद भुगतान को प्रतिबंधित करके काले धन जैसी बुराई को समाप्त किया जा सकता है और नकद भुगतान से बचने का मार्ग नकद राशि तथा चेक के बीच की भुगतान प्रणाली बनाने से निकल सकता है। साथ ही इस सम्बंध में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करके उनके समाधान के उपाय भी निकाले जा सकते हैं।

मेरा दूसरा सुझाव, जिसे मैं समझता हूं, सरकार ने स्वीकार कर लिया है, वह यह है खरीदने का अधिकार। हम जानते हैं कि बहुत सा काला धन सम्पत्ति की खरीद—रजिस्टरी खर्च, नकद भुगतान तथा घूस आदि के रूप में परिवर्तित हो चुका है। हम कहते हैं कि सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी सम्पत्ति को रजिस्ट्री मूल्य पर खरीद ले। परन्तु मेरे विचार में यह उपाय भी प्रभाव पूर्ण सिद्ध नहीं होगा और न हीं यह उचित ढंग से क्रियान्वित हो सकेगा। इस संदर्भ में मेरा मत है कि सरकार समस्त खरीद को सार्वजनिक कर दे अर्थात प्रत्येक राज्य अथवा बड़े क्षेत्र में समय-समय पर एक गजट निकाला जाये जिसमें सभी सम्पत्तियों की खरीद के बारे में रजिस्ट्री मूल्य, खरीदने व बेचने वाले का पूरा विवरण आदि सम्पूर्ण जानकारी हो तथा वह जानकारी भी जनता को उपलब्ध हो क्योंकि जनता भी ऐसे लोगों को पकड़ने में रुचि रखेगी तथा सरकारी व्यवस्था के साथ-साथ ऐसे लोगों को पकड़ने में जनता की भी खूब मदद मिलेगी। केवल सरकार द्वारा क्रय के अधिकार ग्रहण कर लेने भर से तो काम नहीं चलेगा।

मेरा तीसरा सुझाव आयकर विभाग को सुदृढ़ बनाने का है। मेरे विचार से वांचू समिति ने भी इसकी सिफारिश की है। आपको औद्योगिक विशेषज्ञ तथा व्यापार विशेषज्ञ रखने चाहिये। व्यापारी लोग अनेक तरीकों से अवैध खर्च को छिपा जाते हैं और उत्पादन लागत के नाम पर उसे छिपा कर आयकर अधिकारियों से स्वीकृत करा लेते हैं। अतः ऐसे मामले पकड़ने का कार्य केवल किसी आयकर अधिकारी के वश की बात नहीं है, चाहे उसे कितना ही प्रशिक्षण क्यों न मिला हो। अतः वांचू समिति की इस सिफारिश को मानना चाहिये तथा आयकर प्रशासन को सुदृढ़ करना चाहिये। जब इस विभाग से औद्योगिक विशेषज्ञ, व्यापार विशेषज्ञ तथा सभी व्यवसायों से सबंधित जानकार विशेषज्ञ होंगे, चार्टर्ड एकाउन्टेंट होंगे और इन लोगों की सलाह से खर्च आदि संबंधी संमुचित नियम लागू किये जायेंगे तो काले धन की समस्या को हल करने में बड़ी सहायता मिलेगी। संभव है इस कार्यप्रणाली में 25-30 लाख या एक करोड़ रुपया व्यय हो परन्तु काला धन रोकने में यह प्रणाली बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होगी। कर अपवंचन को रोकने के लिये कराधान की दर को कम करने सम्बन्धी सुझाव के बारे में मेरे विचार में कोई औचित्य नहीं है। इससे कर अपवंचन को रोकने पर और काले धन को बनाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार को वांचू समिति की यह सिफारिश बिल्कुल स्वीकार नहीं करनी चाहिये। काले धन का एक महत्वपूर्ण कारण वस्तुओं पर नियन्त्रण अथवा लाइसेंस है। वांचू समिति ने लाइसेंसों के इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव का जोरदार समर्थन किया जाना चाहिये। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लाइसेंस प्रणाली ने काले धन के बढ़ने में योगदान दिया है। सरकार को इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेना चाहिये। इस बीच वित्त मंत्रालय और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों को चाहिये कि वे लाइसेंस के नमूने को एकत्रित करके इस बात का पता लगायें कि इन लाइसेंसों का उपयोग कैसे किया गया है।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि स्थायी वस्तुओं, आभूषणों, कारों तथा मकानों इत्यादि का व्यापार करने वालों को लाइसेंस दिये जायें। यदि हम उनको लाइसेंस प्रदान कर दें तो हमें इससे कुछ लाभ ही होगा और नियंत्रण भी लगा रहेगा। हमें अपने बड़े पर्यटक होटलों से भी कुछ प्राप्ति होनी चाहिये। इन होटलों में कुछ इस प्रकार का नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है जिससे यह पता लगे कि वहां कौन-कौन लोग पार्टियां देते हैं और इससे सरकार को क्या प्राप्तियां होती हैं।

वांचू समिति ने कर की बकाया राशि के संबंध में भी सराहनीय कार्य किया है। सरकार को बकाया राशि के प्रश्न पर कार्यवाही करने के लिये एक विशेष निकाय स्थापित करने की सिफारिश को स्वीकार करने में अब और विलम्ब नहीं करना चाहिये। मैं बिना कोई योग्यता निर्धारित किये पति पत्नी और अवयस्क बच्चों की आय को एक साथ जोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। अवयस्क बच्चों की सम्पत्ति से प्राप्त समूची आय को परिवार अध्यक्ष की आय के साथ मिलाकर उस पर कर लगाया जाना चाहिये। किन्तु हमें इस बारे में एक कमाऊ पत्नी और कुछ न कमाने वाली पत्नी के बीच भी कुछ अन्तर बनाना होगा।

हमारे पास देश के समूचे न्यासों की एक निर्देशिका होनी चाहिये। हमें उनके नाम तथा उनके अन्य संचालकों के नाम आदि का भी पता होना चाहिये। उनमें से प्रत्येक को अपने खाते की लेखा परीक्षा निश्चित रूप से करानी चाहिये। इसमें संदेह नहीं है कि न्यास भी एक अन्य सधान है जिनके द्वारा काला धन बढ़ता है और कर का अपवंचन होता है।

सभी राजनैतिक दलों को पंजीकृत किया जाना चाहिये। किसी राजनैतिक दल को गोपनीय ढंग से कार्य नहीं करना चाहिये। ऐसी स्पष्ट सूचियां और रजिस्टर होने चाहिये जिनमें उसके सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों इत्यादि के नाम दिये गए हों। उनके लेखे की परीक्षा भी की जानी चाहिये। यदि इस प्रकार की कार्यवाही की जाये तो इससे हमारी अर्थ व्यवस्था तथा राजनैतिक स्थिति में सुधार करने के लिये अत्यधिक सहायता प्राप्त होगी।

आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता है। सरकार को आयकर अधिकारियों के समूचे संवर्ग की, उनकी पदोन्नति आदि के संबंध में नये सिरे से जांच करनी चाहिये ताकि वह ईमानदारी और बेधड़क होकर कार्य कर सकें।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

श्री के० बालतंडायुतम (कोयम्बटूर) : जहां तक काले धन द्वारा समानान्तर अर्थ-व्यवस्था बनाये जाने का प्रश्न है, वांचू समिति का प्रतिवेदन बहुत ही निराशाजनक रहा है। इस समिति ने अपराधों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, किन्तु इसने भी अपराधियों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। जब तक वह समिति अपराधियों का नाम नहीं बताती, तब तक इस प्रश्न से निपटने के लिए उनके सभी उपायों का कोई लाभ नहीं होगा। एकाधिकार गृह इस बात के लिए तर्क देते रहे हैं और इसे प्रमाणित करते रहे हैं कि जब तक आय कर की दर को कम नहीं किया जाता, तब तक सरकार काले धन की समस्या के साथ निपटने में असमर्थ है। यह उनकी चुनौती रही है। वांचू समिति ने प्रारम्भ में ही इस मांग को स्वीकार कर लिया था। यह उच्चतम आय वर्ग के लिए इसे 97.75 प्रतिशत से कम करके 75 प्रतिशत करना चाहती है। यह अनुचित है।

समिति द्वारा नियंत्रणों को हटाने का भी सुझाव दिया गया है जिसके लिये बड़े उद्योग गृहों की निरन्तर मांग रही है। बड़े बड़े उद्योग गृह नियंत्रण को क्यों हटाना चाहते हैं। काले धन के संचयन के लिये ये नियंत्रण जिम्मेदार नहीं हैं। यदि हम नियंत्रणों को हटा दें, तो भी वे काले धन का संचय करेंगे। क्या ऐसा उच्च कराधान की दरों के कारण हुआ है कि वे कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करते हैं और सट्टेबाजी में लगे रहते हैं ? कराधान की उच्च दरों अथवा नियंत्रण का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है तो भी इस समिति ने इन उद्योग गृहों द्वारा

दिये गये तर्कों से और सरकार द्वारा कार्यान्वियन के लिए इन सिफारिशों के करने से सहमत होना उचित समझा ।

इस समिति ने प्रशासन के मामले में भी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ तरफदारी का रवैया अपनाया है । उसने इन लोगों के द्वारा अन्य लोगों को प्रलोभन देने के अधिकार को स्वीकार किया है । अतः उन्हें लालच से बचाने के लिए इस समिति ने सिफारिश की है । उन्हें अवश्य अधिक उच्च वेतन दिये जाने चाहिए । आखिरकार वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवा शर्तों पर विचार कर रहा है । फिर भी यह समिति आयकर अधिकारियों के लिए उच्च वेतन दरों की सिफारिश कर रही है ।

काला धन कैसे पैदा होता है, मैं समझता हूं कि इसके तीन कारण हैं । एकाधिकार गृह, नौकरशाही और सत्तारूढ़ दल । सरकार की वर्तमान नीतियों ने समानान्तर अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए स्थितियां पैदा की हैं । इन बुराइयों से निपटा जाना चाहिये । हमें विमुद्रीकरण की सिफारिश पर विचार करना चाहिये । विमुद्रीकरण के साथ समूचे देश में एक ही बार बैंकों के सभी सेफ्टी वाल्टों की एक साथ जांच की जानी चाहिये । आशा थी कि वांचू समिति लाभ पर अधिकतम सीमा लगाने की सिफारिश करेगी । इसमें अधिकतम सीमा क्यों नहीं लगायी जाती कि कोई भी व्यक्ति दो प्रतिशत या चार प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 प्रतिशत लाभ से अधिक नहीं कमा सकता । जब तक लाभ पर अधिकतम सीमा नहीं लगायी जाती तब तक काला धन बढ़ता ही चला जायेगा ।

विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । एकाधिकार गृहों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार तथा देश में अन्न व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ।

जब तक हम सामाजिक आर्थिक ढांचे में सम्पूर्ण परिवर्तन नहीं लाते तब तक काले धन से नहीं निपटा जा सकता है । हमें ऐसा करना ही होगा अन्यथा गरीबी हटाओ नार मात्रा नारा ही बन कर रह जायेगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : कर-अपवंचन और कालेधन की समस्या के बारे में इस रिपोर्ट से कोई योगदान नहीं मिला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा दिये गये आंकड़ यद्यपि समिति के प्रतिवेदन से लिये गये हैं लेकिन उन्हें उचित प्रकार से विचार के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः इन आंकड़ों पर इन गम्भीर शर्तों को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिये और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस अनुमान के लिये कोई वैज्ञानिक आंकड़े और विश्वसनीय आधार उपलब्ध नहीं हैं ।

सदस्यों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि दूसरा प्रतिवेदन दबाव में आकर लिखा गया है। मैं नहीं जानता की इस आरोप का क्या आधार है। यदि इनमें से कोई प्रतिवेदन किसी दबाव में आकर लिखा गया है तो इसका कोई लाभ नहीं ।

समिति सब तथ्यों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विमुद्रीकरण इस समस्या का कोई हल नहीं है । समिति ने उल्लेख किया है कि मुद्रा नोटों के रूप में उपलब्ध नहीं है । धन को आभूषणों, सोने, सम्पत्तियों और स्टाक पर खर्च किया गया है और यह अनुमान लगाना भी गलत है कि धन को दबा कर रखा गया है और जैसे ही विमुद्रीकरण हो जायेगा वैसे ही हमें समूचे दबे धन का पता लग जायेगा । इससे बढ़कर कोई अन्य गलत बात नहीं होगी ।

समिति इस परिणाम पर पहुंची है कि कर-अपवंचन से बचाई गई राशि या तो परिसम्पत्ति में परिवर्तित कर दी जाती है अथवा किसी अन्य ढंग से इसे व्यापार सम्बन्धी अन्य गोपनीय कार्यों पर व्यय कर दिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व समिति ने इस समूचे मामले पर अवश्य विचार किया होगा और काले धन से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया होगा और तभी वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि धन को नकदी के रूप में दबाया नहीं गया है। अतः उसने विमुद्रीकरण की सिफारिश नहीं की है।

समिति ने उल्लेख किया है कि समानान्तर अर्थ व्यवस्था में 7,000 करोड़ रुपये के सौदे ऐसी धनराशि से होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। हम इस समानान्तर अर्थ व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। काले धन की उत्पत्ति इस 7,000 करोड़ रुपये से ही होती है। इसे विमुद्रीकरण के साथ साथ कैसे समाप्त किया जा सकता है। अतः विमुद्रीकरण का विचार मात्र ही हास्यास्पद है।

जिस दिन भी सरकार विमुद्रीकरण की घोषणा करेगी सोने का मूल्य 20 रुपये और बढ़ जायगा और सब लोग सोना खरीदना आरम्भ कर देंगे। विमुद्रीकरण का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर योजनाएं तैयार की जायेंगी। ऐसा सुझाव देकर हमें अपनी अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। सरकार को स्थायी मुद्रा नीति बनानी चाहिये।

नकद धनराशि पर सीमा निर्धारण करना भी कल्पनापूर्ण है। इस विषय पर वैज्ञानिक ढंग से विचार किया जाना चाहिये। यह आवश्यक नहीं कि नकद धनराशि पर सीमा का निर्धारण उसी भांति किया जाये जिस तरह सुझाव दिया गया है लेकिन काले धन सम्बन्धी सौदों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है।

दरों में की गई कमी की सिफारिश इस ढंग से की गई है कि इससे बड़ा आश्चर्य होता है। इस बारे में कोई कारण नहीं दिया गया है कि जो व्यक्ति 99.75 रुपये के लिये कर अपवंचन करता है, वह 75 प्रतिशत पर कर अपवंचन क्यों नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति को कर अपवंचन करना होता है तो वह यह नहीं देखता कि कर की अधिकतम दर क्या है।

कर अपवंचन तथा काले धन की बुराइयों को दूर करने के लिये हमें सभी विषमताओं को समाप्त करना होगा। समिति के प्रतिवेदन में विषमताओं के प्रश्न पर बहुत कम विचार किया गया है।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया है कि अधिक दर पर कर लगाने से आय और सम्पति की असमानता में कमी होगी सिद्धान्त में ऐसा है लेकिन व्यवहार में अधिक दर से कर लगाने से अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब होते जाते हैं और उन दोनों में अन्तर बढ़ता जाता है। इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

1000 रुपये तथा 1500 रुपये पाने वाले व्यक्ति वेतन भोगी हैं और कर दाताओं में यही वर्ग सबसे अधिक पिस रहा है। वे किसी प्रकार की राहत पाने के अधिकारी नहीं हैं।

केवल 2 लाख रुपये अथवा इससे अधिक रुपये पाने वाले व्यक्तियों को राहत पाने का अधिकार है। अतः कराधन में कमी करने का प्रस्ताव युक्ति संगत मालूम नहीं होता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

इस प्रतिवेदन में कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं। इस प्रतिवेदन पर लाखों रुपये खर्च किये गये हैं और यह आशा की जाती थी कि समिति के सुझाव का पूर्णरूप से अध्ययन किया जायेगा।

वांचू समिति ने कम्पनियों के कराधान के बारे में एक शब्द भी उल्लेख नहीं किया है। वर्ष 1967-68 में लाभ की वास्तविक दर 47.5 प्रतिशत थी। वह वर्ष 1970-71 में 42 प्रतिशत हो गई है। अतः हमारी कम्पनियों में बहुत ही तर्क संगत और उदार कराधान दर लागू की गई है। लेकिन इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया है कि कम्पनियों द्वारा किया जा रहा कर अपवंचन क्यों हो रहा है। इस बारे में पर्याप्त अनुसंधान नहीं किये गये हैं। आय को जोड़ने का विचार बहुत घातक और खतरनाक है। इसके परिणामस्वरूप इसका भार कम आय वर्ग पर ही पड़ेगा और वास्तव में राहत उन्हीं लोगों को मिलेगी जो धनवान हैं। आय मिलाने से धनवान व्यक्ति के लिये कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

ऐसा किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर यदि एक पति-पत्नी में से प्रत्येक की आय 50,000 रुपये है तो वर्तमान कराधान की दर के अनुसार उनकी आय पर कर-निर्धारण पृथक से किया जाता है तो प्रत्येक को 19,550 रुपये कर के रूप में देने होंगे। यदि मि० रंगेकर और मि० चिटाले के प्रतिवेदन के अनुसार दोनों की आय को मिला दिया जाये तो उन्हें 48,575 रुपये कर के रूप में देने होंगे। इसका अभिप्राय यह होगा कि उन्हें 9475 रुपये कर के रूप में अधिक देने होंगे। अमीर लोगों की आय को मिला देने से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि 60,000 से अधिक आय पर 74 प्रतिशत की दर से कर लगाने की सिफारिश की गई है। यह बहुत ही खतरनाक विचार है।

कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्वीडन आदि में आय को जोड़ने का बहुत सरल तरीका है, उससे जनता को परेशानी नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त इस विभाग को बेकार की मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। अपीलीय सहायक आयकर आयुक्तों के आदेशों के विरुद्ध बड़ी संख्या में अपीलें दायर की गई हैं। इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास-दक्षिण) मुद्रा का विमुद्रीकरण न करने के लिये अनेक सदस्यों ने सरकार का पक्ष लिया है। लेकिन कानून सरकार को अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से नहीं रोक सकता। श्री चह्वाण ने उल्लेख किया था कि चूंकि अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है अतः अब अन्तरिम प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया है लेकिन उसका अन्तरिम प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखा गया है। परम्पराओं के अनुसार अन्तरिम प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिये। सरकार द्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन प्रकाशित न करने के पर्याप्त कारण नहीं बताये गये हैं।

सरकार जिस समय विमुद्रीकरण के प्रश्न पर विचार कर रही थी, यदि उस समय श्री बसु अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देते तो प्रतिवेदन का सार्वजनिक रूप से उद्घाटन करने का आनन्द समाप्त हो जाता। सरकार गोपनीय दस्तावेज को सुरक्षित न रखने की अपराधी है।

वांचू समिति का प्रतिवेदन निराशाजनक है। हम सम्पूर्ण ढांचे में सरलीकरण की आशा रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वांचू समिति का प्रतिवेदन आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की तुलना में प्रत्यक्ष करों और उसकी भूमिका के बारे में उल्लेख करने में असफल रहा है। इसके लिए समिति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर भी काले धन के बारे में पहली बार विस्तृत तथा प्रमाणीकृत अध्ययन किया गया है और काले धन के कारणों का इससे पता लगाया गया है।

वांचू समिति ने काले धनों के स्रोतों के बारे में भी उल्लेख नहीं किया है। काला धन एकत्र करने सम्बन्धी त्रुटि को दूर करने लिये समिति ने कोई सुझाव नहीं दिया है। आयकर आदि करों की बजाय यदि हम थोड़ा से पण्यावर्त कर लेते हैं तो काला धन समाप्त हो जायेगा। आशा है इससे समस्या कुछ सीमा तक अवश्य हल हो जायेगी।

वांचू समिति की उच्चतम आय पर कराधान की दर को 97.5 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किये जाने की सिफारिश से आश्चर्य होता है। हमारे पास इस बात का कोई रिकार्ड नहीं है कि यदि उच्चतम आय पर कर नहीं लगाया जाता है तो लोग आयकर का अपवंचन नहीं करेंगे।

भूतलिंगम समिति की न्यूनतम छूट सीमा को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की सिफारिश यदि स्वीकार हो जाती है तो इसके अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप आयकर विभाग में लगे कर्मचारियों को सृजन कार्यों में लगाया जा सकेगा और 20 लाख आयकर दाता सरकार के आभारी होंगे।

काले धन के लिये केवल अमीर लोग ही दोषी नहीं हैं, इसके लिये छोटे व्यापारी, वकील, डाक्टर भी जिम्मेवार हैं। लेकिन सरकार के पास इन लोगों से निपटने के लिये उचित तन्त्र नहीं है।

आय निर्धारित राशि में से प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये की राशि बकाया रहती है। लाखों रुपये की आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति करों का भुगतान नहीं करते।

आयकर की वसूली के लिये राज्य सरकारों के तन्त्रों को उपयोगी बनाया जाना चाहिये।

वांचू समिति की मुख्य सिफारिश यह है कि समानता और स्थिरता के लिये केन्द्रीय सरकार को कृषि सम्बन्धी आय पर कर लगाने के अधिकार दिये जाने चाहिये। हम इस बात से सहमत हैं कि अनेक उद्योगपतियों और फिल्मी कलाकारों के पास बहुत बड़े फार्म हैं और ये लोग अन्य साधनों द्वारा काले धन को सफेद धन में परिवर्तित कर लेते हैं।

वांचू समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड को वित्त मंत्रालय के भाग के रूप में नहीं बनाना चाहिये। यह बहुत ही क्रान्तिकारी और महत्वपूर्ण सुझाव है। सरकार को इसे अवश्य-स्वीकार करना चाहिये।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : इस वाद विवाद के दौरान में काले धन तथा कर अपवंचन के बारे में उल्लेख किया गया है।

[**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए**
Shri N. K. P. Salve in the Chair]

प्रतिवेदन में बताया गया है कि 470 करोड़ रुपयों का वार्षिक कर अपवंचन किया गया है। यह राशि बहुत अधिक है।

यह धारणा बनी हुई है कि यदि हम करदाताओं के विरोध वाली सिफारिशों को स्वीकार कर लेते हैं तथा कर-निर्धारकों विरोधी सिफारिशों को अस्वीकार कर देते हैं तो हम राजकोष के संसाधनों में वृद्धि कर रहे हैं।

यह सच नहीं है। प्रो० काल्दोर ने स्वयं 40 से 50 प्रतिशत अधिकतम सीमान्त निर्धारित करने की सिफारिश की है।

वर्ष 1939 तक कराधान कानूनों में कठिनता से 69 धाराएं थीं। आज कराधान विधि में 229 धाराएं हैं। जो भी कानून अथवा सिफारिशें की जायें उनमें उस सीमा तक कुछ उपबन्ध किया जाना चाहिए।

इस समय लगभग 30 लाख आयकर देने वाले हैं, पर उनमें से केवल 20 लाख की आय 7500 प्रतिवर्ष से अधिक है। यदि हम इस सीमा तक कर से छूट दे दें तो इससे सरकार को लगभग 7 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की हानि होगी, जैसा कि भूतलिंगम समिति का अनुमान है। और सरकार के काम का बोझ बहुत कम हो जायेगा और उसे वह अच्छी तरह पूरा कर सकेगी।

पुनर्मुद्रीकरण तथा मुद्रा में भुगतान करना बन्द करने का भी सुझाव दिया गया है। मुद्रा में भुगतान करना बन्द करने का जहां तक प्रश्न है तो यह तो भुगतान का एक तरीका है, वह बदल भी सकता है और किसी अन्य तरीके से भी अवैध भुगतान किये जा सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : काला धन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पर कांग्रेसी सदस्यों के भाषणों से लगता है कि सरकार वांचू समिति कि न तो अन्तरिम प्रतिवेदन को मानने वाली है और न ही अन्तिम प्रतिवेदन को।

मैं वांचू समिति द्वारा की गई पांचों सिफारिशों का समर्थन करता हूं। एक जनतांत्रिक सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह जनता की इच्छा के अनुकूल कार्य करे। जनता की राय में पुनर्मुद्रीकरण काले धन को निकालने का सबसे बड़ा उपाय है। यदि वह ऐसा नहीं करती तो इसका अर्थ है कि उसका भी काले धन में हिस्सा है। मैं मानता हूं कि पुनर्मुद्रीकरण देश के लिए ठीक नहीं हैं। परन्तु क्योंकि यह जनता कि मांग है और उसका विश्वास है कि सरकार का काले धन में निजी हित है तब पुनर्मुद्रीकरण करना आवश्यक है। उसके लिए वह इन्तजार कर सकती है और समय आने पर ऐसा तुरन्त कर सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता यह सोचेगी कि इस काले धन में सरकार का भी हिस्सा है।

मेरा यह मत है कि सरकार को अन्तरिम प्रतिवेदन प्रकाशित कर देना चाहिए। जनतांत्रिक सरकार समितियों और आयोगों के द्वारा कार्य करती है। पर यदि इनकी रिपोर्टों पर सरकार गम्भीरता से ध्यान नहीं देती तो वह अपना विश्वास खो देती है। जन तांत्रिक सरकार पर से जनता का विश्वास उठ जाता है। अतः सरकार को वांचू समिति की सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए तथा उनको शीघ्र लागू करना चाहिए।

कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि वह अलाभप्रद हो जाए। इसके लिए करों की दर कम की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार को नियंत्रण परमिट और लाइसेन्स के प्रश्नों पर भी विचार करना चाहिए। आयकर से छूट की सीमा 7,500 रुपये तक बढ़ा दी जानी चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफेन (मुवत्तुपुजा) : जैसा कि बताया गया है, इस प्रतिवेदन को बन्द करके नहीं रख दिया गया है। इस पर संसद की परामर्शदात्री समिति की दो बैठकों में व्यापक चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार के तत्वावधान में एक गोष्ठी भी की गई थी, जिसमें अर्थशास्त्रियों, प्रोफेसरों तथा विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों ने भाग लिया था।

अन्तरिम प्रतिवेदन को प्रकाशित करने की बात कही गई थी। उसके प्रकाशन से क्या लाभ होता ? और यदि सरकार पुनर्मुद्रीकरण का निर्णय लेती तो उसे प्रकाशित करना एक मूर्खता होती तथा पुनर्मुद्रीकरण न करने पर भी इससे एक अव्यवस्था फैलने का डर था। अतः प्रतिवेदन का प्रकाशित न करना एक बुद्धिमानी का निर्णय था।

सभा में प्रतिवेदन पर चर्चा होने से पहले तथा अप्रकाशित अथवा सभा पटल पर न रखे गये कागजात को समाचार पत्रों में प्रकाशित करना एक विशेषाधिकार का प्रश्न है......(**व्यवधान**)... पर मैं उसे इस समय नहीं उठाता। इसके अतिरिक्त इससे एक बड़ी हानि यह हुई है कि जिनके पास काला धन था, वे सावधान हो गये और बड़े नोटों को छोटे नोटों में बदल कर रख लिया है। इसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ गई हैं।

काले धन को समाप्त करने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए तथा देश के सामाजिक आर्थिक गठन में परिवर्तन आना चाहिए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरा सरकार पर यह आरोप है कि वह काले धन को समाप्त नहीं करना चाहती क्योंकि वह बार बार काले धन को समाप्त करने की बात कहती है, विशेषज्ञों को बुलाती है, समितियों का गठन करती है, आयोग की स्थापना करती है, पर करती कुछ नहीं। इसके लिए यह सब आडम्बर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो केवल सामान्य ज्ञान की, जो सरकार के पास नहीं है।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwary in the Chair]

समिति के विद्वान सदस्यों ने बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, पर उसे लागू करने वालों ने जो उनसे कहीं ज्यादा चालाक हैं, उसे निरर्थक बना कर रख दिया है। वास्तविकता यह है कि सरकार काले धन को समाप्त नहीं करना चाहती, क्योंकि उनमें से कोई भी यहां नहीं होता यदि उन्हें कालाधन न मिला होता···(**व्यवधान**)

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य का यह कहना कि काला धन नहीं मिलता तो यहां हम लोग न आ पाते, एक अपमानजनक कथन है। यह सदन और उसके सदस्यों का अपमान है अतः इस कथन को कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं इस सम्बन्ध में नियमों को देखूंगा और तब कोई निर्णय लूंगा।

श्री पीलू मोदी : मैंने कोई भी असंसदीय बात नहीं कही है। जो कुछ सत्य है और जैसा कि मैं महसूस करता हूं वही मैंने बिना किसी डर के तथा हिचक के अथवा संकोच के कहा है। फिर भी यदि नियमों के अनुसार यह असंसदीय है तो आप इसे कार्यवाही से निकाल दें।

सन 1965 में एक विशेषज्ञ ने आयकर की दर अधिक से अधिक 4.5 प्रतिशत करने की बात कही थी, क्योंकि काले धन को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है। पर अब इतना समय गुजरने पर वांचू समिति ने 75 प्रतिशत की सिफारिश की है। इतना भी उसने डरते-डरते किया है क्योंकि यदि इससे कम की सिफारिश करते तो सम्पूर्ण प्रतिवेदन रद्द कर दिया जाता।

नकद भुगतान के बजाय चेक आदि से भुगतान करने का सुझाव बड़ा ही सुन्दर सुझाव है। इससे काफी सुविधा हो सकती है। पर यह तभी सम्भव हो सकता है, जब हमारे यहां बैंक की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों।

एक अन्य सुझाव कि कर अपवंचन करने वालों के नाम प्रकाशित किए जायें, बहुत ही उत्तम है। जनता को उन लोगों का पता लगाना चाहिए जो कर अपवंचन करते हैं और कानून को तोड़ते हैं। पर इसके साथ कानून भी ऐसा होना चाहिए जिसका लोग पालन कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वांचू समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह से मान ले।

कार्य-मन्त्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री आर० बी० बड़े (खरगोन) : मैं कार्य-मन्त्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रत्यक्ष कर जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी
MOTION RE. FINAL REPORT OF THE DIRECT TAXES ENQUIRY COMMITTEE—*Contd.*

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं तथा प्रत्येक सदस्य देश के वर्तमान कर-ढांचे में आवश्यक परिवर्तन करना चाहता है।

जब वांचू समिति की नियुक्ति की गयी तब एक प्रश्नावली जारी की गई थी। मैंने भी उस का उत्तर दिया था और समिति के सम्मुख अपना साक्ष्य दिया था।

इस समिति ने बहुत ही जल्दी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में छह समितियां बनाई गई थीं। अब सभा के समक्ष चर्चा हेतु वांचू समिति का प्रतिवेदन है।

वांचू समिति के प्रतिवेदन में लगभग 400 निदेश तथा सिफारिशें हमारे समक्ष लाई गई हैं। कई सिफारिशों पर माननीय सदस्य सहमत होंगे तो कई पर असहमत।

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

जब किसी विशेषज्ञ द्वारा किसी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें कई काम करने पड़ते हैं, अतः हमें इस प्रतिवेदन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

आज समाज में विश्वास सम्बन्धी संकट व्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति का यही कहना है कि काले धन का फैलाव हो रहा है। जब हम यह कहते हैं कि कर प्रशासन में हमारा विश्वास नहीं रहा तो

यह देश में विश्वास सम्बन्धी संकट ही है। इस समस्या के लिये कोई उपाय करना तो दूर रहा, अपितु यह समूचा मामला बढ़ता ही जा रहा है, अतः इस समस्या को हल करना होगा।

श्री बसु द्वारा सभा-पटल पर रखे गये वांचू समिति के इस कथित अन्तरिम प्रतिवेदन की काफी समीक्षा हुई है, इस पर कई सम्पादकीय टिप्पणियां भी लिखी गई हैं तथा इसकी काफी प्रतिक्रिया हुई है। विमुद्रीकरण तथा नकद धनराशि पर अधिकतम सीमा लगाने जैसी कई बातें हमारे सामने लाई गई हैं परन्तु हमारा संबंध इस बात से है कि अन्तिम प्रतिवेदन में क्या लिखा हुआ है।

माननीय सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव ने कहा है कि बैंकों की कार्यप्रणाली पर अधिकाधिक विश्वास होना चाहिए। यह सुझाव तो बहुत अच्छा है परन्तु क्या ऐसा करना व्यावहारिक है।

इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। एक ऐसा बुद्धिमतापूर्ण ढंग निकाला जाना चाहिए जिससे कार्य प्रणाली आसानी से आयोजित हो तथा सब लोगों को संतुष्ट किया जा सके। इस मामले में वांचू समिति का प्रतिवेदन सहायक हो सकता है।

सरकार को चाहिए कि इस समूचे प्रतिवेदन को देखे तथा उन सिफारिशों को स्वीकार करे और कार्य रूप दे जो प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य हैं ताकि एक श्रेष्ठतर कर ढांचा बनाया जा सके और समाज में विश्वास का वातावरण उत्पन्न किया जा सके।

उक्त समिति ने एक सुझाव यह दिया है कि एक अलग, स्वायत्त राजस्व बोर्ड बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा करने से वांछित परिवर्तन लाया जा सके तो मेरे विचार में इस सिफारिश को क्रियान्वित करने में कोई दोष नहीं है। डाक तथा तार विभाग तथा अन्य जैसे कई स्वायत्त निकाय हैं। सरकार को इस सिफारिश को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : श्रीमन्, वैसे तो यह प्रतिवेदन काफी बड़ा है और मुझे बोलने का समय थोड़ा मिला है, अतः मैं काले-धन सम्बन्धी ज्वलन्त प्रश्न पर अपना ध्यान केन्द्रित करता हूं। काला-धन काली राजनीति का ही परिणाम है और जब तक काली राजनीति है तब तक काले-धन का कोई भी उन्मूलन नहीं कर सकता है।

क्या सरकार काले धन को समाप्त करने के लिए ऐसा कानून लायेगी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राजनीतिक दल इस बात के लिये बाध्य होगा कि वह अपनी आय-व्यय तथा देयता और आस्तियां घोषित करे। क्या सरकार ऐसा करने को तैयार है? यदि नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि सरकार काले-धन को समाप्त नहीं करना चाहती है।

वांचू समिति के प्रतिवेदन के बारे में मैं एक निरर्थक कविता पढ़कर सुनाता हूं जिसका भावार्थ यह है कि काला-धन और करापवंचन प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को समाप्त करने के लिये हैं। समाजवाद रूपी दीपक पूंजीवादी ईंधन से जलकर तेज प्रकाश देता है। वांचू समिति का प्रतिवेदन चाहे वह अन्तरिम हो अथवा अन्तिम, चर्चा करने और दफनाने के लिये है।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और सभा में गणपूर्ति नहीं है (**व्यवधान**)। मैं अनुरोध करता हूं कि इस चर्चा को सोमवार को जारी रख कर सभा को इस समय स्थगित कर दिया जाय।

सभापति महोदय : 6.00 बजे के बाद गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्री पी० एम० मेहता : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों के अनुसार सभा गणपूर्ति के बिना कार्य नहीं कर सकती।

सभापति महोदय : घंटी बजने दी जाए। गणपूर्ति नहीं हुई है। चूंकि गणपूर्ति नहीं है अतः सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 28 अगस्त, 1972/6 भाद्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 28, 1972/Bhadra 6, 1894 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—22-10-72—490